



मेट्रो चेतना

अंक - 36



मेट्रो रेलवे, कोलकाता

मेट्रो चेतना

अंक-36

संरक्षक

पी. उदय कुमार रेड्डी

परामर्शदाता

अंबिका जैन
प्रधान वित्त सलाहकार सह
मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक

किरण बोस
राजभाषा अधिकारी

सहयोगी

कीर्ति किरण बागे, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
राजेश एक्का, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
शांतनु नाथ, कनिष्ठ अनुवादक
मानसिंह मेलगंडी, निजी सचिव-II

सम्पर्क

राजभाषा अनुभाग
मेट्रो रेल भवन (नवम तल)
33/1, जवाहर लाल नेहरू रोड,
कोलकाता - 700071
टेलीफोन - (020) - 55735, 55037

केवल निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित। इसमें प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों/रचनाकारों के अपने हैं। संपादक मंडल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है।

अनुक्रमणिका

■ महाप्रबंधक का संदेश		1
■ संपादकीय		2
■ मेट्रो समाचार		3-8
■ स्वामी	रूपा भट्टाचार्य	9
■ नारी (कविता)	ऋचा अम्बष्टा	12
■ सुपाड़ी के खिलौने	अलका सिंह परिहार	13
■ इस क्षण (कविता)	रत्ना गर्ग	14
■ गजब अनुभव इस पीढ़ी की	राजेश कुमार राम	15
■ मैं एक नारी (कविता)	सरला शामकुले	16
■ जीवन का आधार		
-सादा जीवन उच्च विचार	सागरिका बोस	17
■ द्वंद्व अंतर्मन	अमित कुमार जेना	18
■ भारतीय संविधान में महिलाएं	कीर्ति किरण बागे	19
■ फिर से (कविता)	राजेश कच्छप	22
■ बचपन के दिन भूतों के संग	राजेश एक्का	23
■ स्वचिकित्सा	शांतनु नाथ	27
■ शून्य ही चेतना है	राजाराम महतो	29
■ ईमानदार बनो	मानसिंह मेलगंडी	30
■ अमृतसर	जयंती दास	31
■ श्रमदान का जादू	संतोष कुमार साव	32
■ विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा		
संबंधी पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न		33
■ हिंदी के हस्ताक्षर	तृतीय आवरण पृष्ठ	
■ नन्हीं कूची	चतुर्थ आवरण पृष्ठ	



आवरण पृष्ठ

76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेट्रो रेल भवन प्रांगण में झंडोत्तोलन के उपरांत उपस्थित सभा को संबोधित करते महाप्रबंधक पी.उदय कुमार रेड्डी।

पी. उदय कुमार रेड्डी
महाप्रबंधक

महाप्रबंधक कार्यालय
मेट्रो रेल भवन
33/1 ज. ला. नेहरू रोड
कोलकाता-700 071

महाप्रबंधक का संदेश



साहित्य हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और दूसरों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को जानने का अवसर प्रदान करता है।

हिंदी पत्रिकाओं ने रेलों पर राजभाषा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 'मेट्रो चेतना' ने न केवल नए लेखकों को प्लेटफॉर्म प्रदान किया है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा का खुला अवसर प्रदान किया है।

मेट्रो रेलवे का राजभाषा विभाग अपनी हिंदी पत्रिका मेट्रो चेतना के 36वें अंक का प्रकाशन कर रहा है। मुझे विश्वास है कि मेट्रो चेतना पत्रिका के लेखक वर्ग पत्रिका के परिभाषा को सार्थक बनाते हुए इस पत्रिका को एक नई दिशा प्रदान करेंगे और साथ ही पाठक वर्ग को राजभाषा से जोड़ने में भी सक्षम हो सकेंगे।

पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग देने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ तथा पत्रिका की निरंतर प्रगति की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं के साथ,



(पी. उदय कुमार रेड्डी)
महाप्रबंधक

संपादकीय



प्रिय पाठकों,

‘ई’ माध्यम से मेट्रो चेतना का एक और अंक आपके स्क्रीन पर अपने चिर-परिचित स्वरूप में प्रस्तुत है।

वर्ष 1949 में हमारे संविधान में, भारत में सबसे अधिक बोली, लिखी और समझी जानेवाली भाषा के आधार पर हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया।

विविध भाषा, रूप रंग, वेशभूषा, खानपान और संस्कार - संस्कृति से परिपूर्ण हमारा देश अपने पुरातन धरोहरों से सुसज्जित ‘अनेकता में एकता’ का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है।

और इस अनेकता में एकता की कड़ी का महती कार्य राजभाषा हिंदी सम्पन्न करती है।

अक्टूबर-2024 में मेट्रो रेलवे ने कोलकाता शहर को अपनी सेवा देने के 40 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे किए। मेट्रो के राजभाषा विभाग के सफर में, भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अंतर्गत इनका कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, पुरस्कार, प्रोत्साहन के माध्यम से कार्यालय में राजभाषा के सोगोपांग प्रचार-प्रसार की कोशिशें अनवरत जारी हैं।

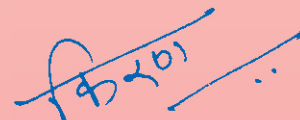
मेट्रो चेतना में प्रकाशित कहानियां, लेख, कविताएं इस तथ्य को प्रामाणिकता देती हैं कि एक जागरूक एवं प्रबुद्ध वर्ग न केवल अपनी रचनाओं एवं पठन पाठन के माध्यम से हमसे जुड़ा है, बल्कि हिंदी साहित्य की ओर उनका झुकाव भी राजभाषा पुस्तकालय की वजह से संभव एवं संपूरित हो पाया है।

इस अंक में राजभाषा संबंधी कुछ जानकारीयां साझा की गई हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लिए विशेष उपयोगी होंगी।

इसके अतिरिक्त जानिए रीवा शहर की विशेष विधा-सुपाड़ियों से खिलौने बनाने की कला के संबंध में, कविता इस क्षण लेख - स्व चिकित्सा, कहानी ‘स्वामी’ और कुछ ज्वलंत लेख। प्रस्तुत अंक नारी भावनाओं को अभिव्यक्त करती कविताओं से भी शोभित है।

पत्रिका पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलिएगा।

शेष अगले अंक में।


(किरण बोस)

मेट्रो समाचार

रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिचालन एवं व्यापार विकास) का ग्रीन लाइन का निरीक्षण

दिनांक 31.01.2025 को रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिचालन एवं व्यापार विकास) श्री हितेंद्र मल्होत्रा ने फेयरली प्लेस में मेट्रो रेलवे के परिचालन एवं व्यापार विकास के प्रदर्शन की समीक्षा की। बाद में उन्होंने मेट्रो रेलवे के यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रीन लाइन-2 के एस्प्लानेड से हावड़ा खंड का दौरा किया और एस्प्लानेड से सियालदह के बीच ग्रीन लाइन मेट्रो के चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।



मेट्रो रेलवे ने 76वां गणतंत्र दिवस

26 जनवरी, 2025 को मेट्रो रेलवे, कोलकाता में 76वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेट्रो रेल के महाप्रबंधक श्री पी. उदय कुमार रेड्डी ने मेट्रो रेल भवन प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, अन्य गणमान्य अतिथियों तथा मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल के समय में विभिन्न क्षेत्रों में मेट्रो रेलवे की शानदार उपलब्धियों और इसके गौरवशाली अतीत की चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से यात्री सुविधाओं और यात्री सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने यह जानकारी साझा की कि इस वर्ष ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का एस्प्लानेड से सियालदह (2.45 किमी), नोआपाड़ा से जय हिंद विमानबंदर (7.04 किमी) और ऑरेंज लाइन का हेमंत मुखोपाध्याय से बेलेघाटा (4.39 किमी) सेक्शन चालू हो जाएगा। ब्लू लाइन के सभी स्टेशनों पर क्यूआर कोड आधारित पेपर टिकट प्रणाली शुरू की गई जो यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस अवसर पर मेट्रो

कर्मचारियों और उनके बच्चों की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बाद में, मेट्रो रेलवे महिला कल्याण संगठन



(एमआरडब्ल्यूडब्ल्यूओ) की अध्यक्ष श्रीमती पी. श्रीलता और संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा महाप्रबंधक पी. उदय कुमार रेड्डी की उपस्थिति में एक ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन किया गया। इसी दिन बेलगछिया क्वार्टर कॉम्प्लेक्स में 148 किलोवाट क्षमता के एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी दिलीप कर्मकार, तकनीशियन-11 द्वारा किया गया।

मेट्रो रेलवे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

मेट्रो रेलवे में दिनांक 08.03.2025 को पूर्वनिर्धारित कार्यालय अवकाश होने के कारण दिनांक 10.03.2025 को बेलगछिया ऑडिटोरियम में एक्सीलरेट एक्शन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मेट्रो रेलवे



द्वारा किए गए पहलों को रेखांकित करना था। इस अवसर पर एक परस्पर संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में प्रतिभागियों ने

महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने विचार साझा किए।

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम पर प्रकाश डालते हुए मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक श्री पी उदय कुमार रेड्डी ने अपने संबोधन में सभी से लैंगिक समानता स्थापित करने

मेट्रो समाचार

में अपना योगदान देने का आग्रह किया और विकास की तीव्र गति सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं और युवतियों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में श्रीमती अंबिका जैन, प्रधान वित्त सलाहकार, श्रीमती विनीता जैन, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी वरीय अधिकारीगण और समस्त विभागों की महिला कर्मचारीगण उपस्थित थीं। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सबरी हेल्थेज की द्रष्टा संस्थापक (विजनरी फाउंडर), सुश्री आरती, बी.आर. सिंह थीं जो एक मनोविश्लेषक और समाजसेवी भी हैं। उन्होंने अपने प्रेरक अभिभाषण में सभी महिला कर्मचारियों को बेहतर भविष्य निर्माण के लिए प्रेरित किया।

ग्रीन लाइन के सियालदाह-एस्प्लानेड खंड पर पहला प्रायोगिक परिचालन सफलतापूर्वक संपन्न

ग्रीन लाइन के पश्चिमगामी सुरंग के माध्यम से सियालदाह - एस्प्लानेड खंड (2.63 किमी) पर दिनांक 21.01.2025 को



पहला प्रायोगिक परिचालन (ट्रायल रन) सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस ट्रायल रन के दौरान मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक एवं कोलकाता मेट्रो रेल

कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएमआरसीएल) के अध्यक्ष श्री पी. उदय कुमार रेड्डी, मेट्रो रेलवे और केएमआरसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे। सियालदाह मेट्रो स्टेशन से 11.20 बजे शुरू हुए इस ट्रायल रन के दौरान महाप्रबंधक मोटरमैन कैब में मौजूद थे। ट्रायल रक (एमआर 607) 11.31 बजे एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा।

श्री रेड्डी ने इस सफल ट्रायल रन के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने एस्प्लानेड मेट्रो स्टेशन पर ट्रायल रन के बाद मेट्रो रेलवे और केएमआरसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।

इस खंड के चालू हो जाने पर यह कोलकाता और उपनगरों के लोगों को सियालदाह और हावड़ा से कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए एक आधुनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।

तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल में मधुमेह प्रबंधन पर कार्यक्रम

दिनांक 01.02.2025 को मेट्रो रेलवे के तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल में ओरल सेमाग्लूटाइड के साथ मधुमेह प्रबंधन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेट्रो रेलवे के एसीएमएस डॉ. ए. के. प्रसाद ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन की मदद से मधुमेह प्रबंधन पर प्रकाश डाला। दर्शकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें मधुमेह प्रबंधन के आधुनिक तरीकों को समझाया गया।

सुरक्षा एवं संरक्षा प्रशिक्षण

मेट्रो में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ड्रिल : राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडो द्वारा 18-19 जनवरी, 2025 की रात को पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मेट्रो परिसर में किसी भी प्रकार के रासायनिक, आतंकवादी या अन्य हमले होने की स्थिति में सुरक्षा के लिए यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। इस तरह की ड्रिल में NSG कमांडो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास करते हैं और मेट्रो स्टेशनों, सुरंगों या पुल से यात्रियों को कम से कम समय में सुरक्षित निकालने का अभ्यास करते हैं।

करुणामयी स्टेशन पर अग्निशमन प्रशिक्षण का आयोजन : मेट्रो रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय और देखभाल करता है। मेट्रो रेल के महाप्रबंधक नियमित रूप से रक्षा उपायों की निगरानी और समीक्षा करते हैं ताकि आग लगने जैसे किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सुरंगों के अंदर या पुल पर किसी भी आग की आपात स्थिति से निपटने के लिए

मेट्रो समाचार



विभिन्न विभागों के मेट्रो कर्मचारियों की तैयारियों की जांच करने के लिए, मेट्रो रेलवे में नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

इसी क्रम में दिनांक 13.01.2025 को करुणामयी मेट्रो स्टेशन पर वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में फील्ड स्टाफ के लिए एक ऐसा ही अग्निशमन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में मेट्रो कर्मचारियों को स्टेशनों पर विभिन्न आग और धुएं की स्थितियों के अनुकरण के माध्यम से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में यातायात, विद्युत, आरपीएफ और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया।

कवि सुभाष स्टेशन और कवि सुभाष कारशेड पर अग्निशमन प्रशिक्षण : दिनांक 03.01.2025 को कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन और कवि सुभाष कारशेड पर फील्ड स्टाफ के लिए अग्नि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में यातायात, विद्युत, आरपीएफ और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। उम्मीद है कि इस तरह के प्रशिक्षणों से मोटरमैन के कार्यकुशलता और सतर्कता में वृद्धि होगी, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने में मदद मिलेगी और बचाव समय कम से कम लगेगा तथा जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल होगी।

नोआपाड़ा कारशेड में मॉक फायर ड्रिल सह प्रशिक्षण : मेट्रो रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। इसी प्रयोजन से मेट्रो परिसर में किसी भी प्रकार की आगजनी की स्थिति में उससे निपटने की तैयारियों की जांच के लिए 29.11.2024 को नोआपाड़ा कारशेड में वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में मेट्रो रेलवे के फील्ड कर्मियों के लिए एक मॉक फायर ड्रिल सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

समारोह व कार्यक्रम

मेट्रो रेलवे में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम : मेट्रो रेलवे में 100 दिवसीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में, इस बीमारी के बारे में ज्ञान और जागरूकता फैलाने के लिए दिनांक 09.01.2025 को टॉलीगंज स्थित मेट्रो रेलवे के तपन सिन्हा मेमोरियल अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

इस सेमिनार में डॉ. अरुण कुमार प्रसाद/एसीएमएस ने टीबी और टीबी की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की और कर्मचारियों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया। मोहम्मद फरीकुल आलम, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (टीबी), केएमसी/कोलकाता ने टीबी के इतिहास के साथ-साथ टीबी के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी दी।

अंतर रेलवे सांस्कृतिक प्रतियोगिता (संगीत) 2024 : दिनांक 17.12.24 और 18.12.2024 को बेलगछिया ऑडिटोरियम में अंतर रेलवे सांस्कृतिक प्रतियोगिता (संगीत) 2024 का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक प्रतियोगिता में देश भर के रेलकर्मियों ने गायन, वाद्य संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत श्रेणियों में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में



17 रेलवे जोन और उत्पादन इकाइयों के कुल 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विभिन्न जोनल रेलवे के प्रतिभागियों के मनमोहक प्रदर्शन ने दर्शकों को वास्तव में प्रभावित किया। इस प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शरीक होते हुए महाप्रबंधक श्री पी. उदय कुमार रेड्डी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएँ को अवसर और मंच प्राप्त होगा।

मेट्रो समाचार

भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस :

दिनांक 06.12.2024 को भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। मेट्रो रेलवे के प्रधान



मुख्य बिजली इंजीनियर श्री असीम कुमार मजूमदार ने मेट्रो रेल भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में दीप प्रज्वलित कर

तथा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित मेट्रो रेलवे के प्रधान विभागाध्यक्षगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण भी डॉ. अंबेडकर को माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

मेट्रो रेलवे में 'संविधान दिवस' : दिनांक 26.11.2024 को मेट्रो रेलवे में संविधान दिवस मनाया गया। श्री असीम कुमार मजूमदार, प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर ने मेट्रो रेल भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। मेट्रो कर्मियों ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने तथा सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ-साथ व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने की शपथ ली।

कैंसर जागरूकता कार्यक्रम : सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के समन्वय से दिनांक 21.11.2024 को मेट्रो रेल भवन में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ डॉ गौतम भट्टाचार्य ने कैंसर के मूल कारणों के बारे में जानकारी देते हुए समाज पर कैंसर के प्रभाव और इस घातक बीमारी को रोकने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या भी प्रस्तुत हे। उन्होंने ससमय टीकाकरण के महत्व पर

जोर दिया और कैंसर के विभिन्न उपचार के तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक श्री पी उदय कुमार रेड्डी के साथ-साथ मेट्रो रेलवे के प्रमुख विभागाध्यक्षगण, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

विविध

विशेष टिकट-जांच अभियान : बिना टिकट यात्रा अथवा कम दूरी की टिकट पर अधिक दूरी की यात्रा जैसे अनाधिकृत तरीके से मेट्रो पर सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ नवंबर, 2024 के दौरान मेट्रो रेलवे टिकट जांच दस्ता द्वारा विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया और इस प्रकार के 165 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया।

ब्लू लाइन में विशेष 'आत्महत्या विरोधी' अभियान : मेट्रो रेलवे ने मेट्रो परिसर में आत्महत्या न करने के प्रति जागरूकता फैलाने एवं यात्रियों को जीवन की अहमियत का एहसास कराने के उद्देश्य से ब्लू लाइन में एक विशेष आत्महत्या विरोधी अभियान शुरू किया है। इस प्रायोजन के लिए ब्लू लाइन कॉरिडोर के विभिन्न स्टेशनों पर पटरियों की तरफ की दीवारों पर रंग-बिरंगे बैनर लगाए गए हैं। इन बैनरों को रणनीतिक रूप से इस प्रकार से लगाया गया है कि इसे प्लेटफार्मों से आसानी से देखा जा सकता है और इसके माध्यम से पटरियों पर कूदकर आत्महत्या करने से पहले अंतिम समय में रोकने का प्रयास हो सके।



‘जीवन एक यात्रा है: इस अनमोल उपहार को जल्दी खत्म न करें’, ‘सब कुछ खत्म करने से पहले दो बार सोचें’, ‘आपका जीवन अनमोल है, कभी हार न मानें’, ‘आपके परिवार के सदस्य घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके बारे में सोचें’ जैसे संदेश विभिन्न स्टेशनों पर प्रदर्शित किए गए हैं। फिलहाल, ऐसे बैनर गिरीश पार्क और कालीघाट स्टेशनों पर लगाए गए हैं और जल्द ही ब्लू लाइन के अन्य स्टेशनों पर भी ऐसे बैनर दिखाई देंगे।

मेट्रो समाचार

राजभाषा गतिविधियां

POSH पर राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन :

राजभाषा विभाग एवं कार्मिक विभाग के समन्वय से 28 नवंबर, 2024 को महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न : रोकथाम, निषेध और सुरक्षा (POSH)'

विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य राजभाषा अधिकारी सह प्रधान वित्त सलाहकार श्रीमती अंबिका जैन ने



विषयवस्तु पर अपने व्यापक अनुभव और जानकारी साझा किए। मुख्य वक्ता के रूप में मेट्रो रेलवे में अध्यक्ष, आंतरिक समिति (POSH), श्रीमती अंजलि केसरी, उप मुसिदूङ/नि. एवं सदस्य श्रीमती किरण बोस, राजभाषा अधिकारी ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति देते हुए POSH अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा को सुरक्षा प्रदान करनेवाले सभी नीति नियमों और प्रावधानों की विस्तृत जानकारी साझा की।

मेट्रो चेतना के पहले ई-संस्करण (35वें अंक) पत्रिका का विमोचन :

दिनांक 28.11.2024 को आयोजित तकनीकी संगोष्ठी कार्यक्रम के क्रम में मुख्य राजभाषा अधिकारी सह प्रधान वित्त सलाहकार श्रीमती अंबिका जैन द्वारा मेट्रो रेलवे की ई-राजभाषा पत्रिका 'मेट्रो चेतना' के 35वें अंक का अनावरण किया गया। महाप्रबंधक महोदय के निर्देश पर पहली बार मेट्रो चेतना की ई-पत्रिका का प्रकाशन किया गया।

राजभाषा कार्यशाला का आयोजन : दिनांक 29.01.2025 को मेट्रो रेल भवन कार्यालय के विभिन्न विभागों में राजभाषा संबंधी कार्य करने वाले कर्मियों के लिए 01 पूर्णदिवसीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मियों को विभिन्न प्रकार के राजभाषा रिपोर्टें (मासिक, त्रैमासिक, संसदीय प्रश्नावली आदि) तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण किया गया।

इस प्रकार के प्रयास मेट्रो पटरियों पर आत्महत्या करने को विवश लोगों को हतोत्साहित करने में निश्चय ही सहायक होगा।

मेट्रो रेलवे में श्रमिक संगठन से संबंधित गुप्त मतदान चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न : मेट्रो रेलवे में दिनांक 04.12.2024 और 05.12.2024 को ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए आयोजित गुप्त मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। श्रमिक संगठनों के चुनावी इतिहास में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया गया।

नोआपाड़ा में अपशिष्ट उपचार संयंत्र (EFFLUENT TREATMENT PLANT) का उद्घाटन : दिनांक 23.01.2025 को नोआपाड़ा कारशेड में अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 5 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे औद्योगिक प्रदूषित पानी को उपचारित और साफ करने की क्षमता वाले इस संयंत्र का उद्घाटन श्री कुंतल मित्रा, सीनियर टेक्नीशियन ने श्री पी. उदय कुमार रेड्डी, महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

मेट्रो कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन शिविर : अपने यात्रियों को सुरक्षित सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रयास में महाप्रबंधक श्री पी. उदय कुमार रेड्डी के निर्देशानुसार मेट्रो कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु नियमित रूप से माॅक ड्रिल, ट्यूटोरियल, विशेष सत्र आदि आयोजित किए जा रहे हैं। एक अनूठी पहल के तहत मेट्रो अधिकारियों ने कवि सुभाष स्टेशन पर 22 से 26



जनवरी, 2025 तक तनाव प्रबंधन शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में मोटरमैन, पर्यवेक्षक, स्टेशन और कार्यालय कर्मचारियों ने भाग लिया। इस शिविर में

श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित 'आर्ट ऑफ लिविंग' की भी शिक्षा दी जा रही है जो मेट्रो कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगी।

मेट्रो समाचार

खेल-स्पर्द्धाएं

मेट्रो खिलाड़ियों को 66वीं अशोक रुइया मेमोरियल विंटर नेशनल्स ब्रिज चैंपियनशिप पर जीत हासिल : मेट्रो रेलवे के ब्रिज खिलाड़ियों ने मेट्रो रेलवे को एक बार फिर गौरवान्वित



किया है। मेट्रो रेलकर्मि श्री सुमित मुखर्जी, श्री देवव्रत मजूमदार और श्री साग्रिक राय ने 08 से 18 दिसंबर 2024 तक पुणे के बालेवाड़ी स्टेडियम में आयोजित

अशोक रुइया मेमोरियल विंटर नेशनल ब्रिज चैंपियनशिप के टीम वर्ग में जीत हासिल की।

14वें युवा बास्केटबॉल टूर्नामेंट, 2025 में मेट्रो की बास्केटबॉल टीम की धमाकेदार जीत : मेट्रो रेलवे की बास्केटबॉल टीम ने 28 फरवरी से 02 मार्च, 2025 तक इम्फा पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित 14 वें युवा बास्केटबॉल टूर्नामेंट, 2025 में धमाकेदार जीत हासिल की।

महाप्रबंधकीय निरीक्षण

जय हिंद (एयरपोर्ट) से आईटी सेंटर स्टेशन तक ऑरेंज लाइन खंड का निरीक्षण : महाप्रबंधक श्री पी. उदय कुमार रेड्डी द्वारा दिनांक 31.12.2024 को ऑरेंज लाइन के जय हिंद (एयरपोर्ट) स्टेशन से आईटी सेंटर स्टेशन के बीच के हिस्से के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया गया।

ग्रीन लाइन के एस्प्लानेड से सियालदाह खंड तक पश्चिमगामी सुरंग का ट्रॉली निरीक्षण : मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक एवं केएमआरसीएल के अध्यक्ष श्री पी. उदय कुमार रेड्डी ने मेट्रो रेलवे के प्रधान मुख्य अभियंता और केएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक श्री अनुज मित्तल और मेट्रो रेलवे तथा केएमआरसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रीन लाइन के एस्प्लेनेड-सियालदाह खंड के बीच पश्चिम की ओर जाने वाली सुरंग का ट्रॉली निरीक्षण किया।

ऑरेंज लाइन का निरीक्षण : महाप्रबंधक श्री पी. उदय कुमार रेड्डी ने दिनांक 07.12.24 को ऑरेंज लाइन के गौर किशोर घोष (चिंगरीघाटा) से आईटी सेंटर (सॉल्ट लेक सेक्टर-V) तक पहली बार ट्रॉली निरीक्षण किया।

महाप्रबंधक द्वारा जय हिंद मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण : महाप्रबंधक श्री पी. उदय कुमार रेड्डी ने अन्य विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों के साथ 26.11.2024 को जय हिंद (एयरपोर्ट) मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

मेट्रो का मानवीय पहलू

● **दिनांक 18.01.2025** को महानायक उत्तम कुमार स्टेशन पर लगभग 40 वर्षीय एक यात्री अस्वस्थ हो जाने पर कार्यरत स्टेशन और रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों ने उनकी सहायता करते हुए उन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में लाया और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।

● **दिनांक 03.01.2025** को तैनात आरपीएफ और स्टेशन कर्मियों ने पार्क स्ट्रीट स्टेशन पर लगभग 20 साल की एक अस्वस्थ महिला यात्री की सहायता की। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को सूचित किया गया।

● **दिनांक 24.12.2024** को सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर अर्थात् 9007041789 पर एक यात्री का कॉल प्राप्त हुआ कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगभग 27 साल की एक महिला यात्री अस्वस्थ हो गई है। यह सूचना मिलने पर चांदनी चौक में तैनात रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों को सूचित किया गया। महिला यात्री को आरपीएफ और स्टेशन कर्मियों की निगरानी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। साथ ही उनके परिवार वालों को भी सूचित किया गया।

● **दिनांक 17.12.2024** को लगभग 12:00 बजे तैनात रेलवे सुरक्षा बल और स्टेशन कर्मियों ने कवि नजरूल मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लगभग 18 साल की एक महिला यात्री की सहायता की जो अचानक अस्वस्थ हो गई थी। उन्हें प्राथमिक उपचार प्रदान करने के पश्चात् बाघाजतिन स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

स्वामी

आज बसंत पंचमी का दिन है। रेखा का मन अतीत के उन पन्नों में गुम होने को आतुर था, जब तीस बसंत देखने के बाद आज ही के दिन वे विवाह के बंधन में बंधे थे। चार वर्ष पहले आज का दिन मन को कितना गुदगुदा रहा था। सहेलियां छेड़ रहीं थी, रेखा आज तुम अपने 'स्वामी' से मिलोगी। स्वामी ! कौन स्वामी ? उसका नाम तो विवेक है। हां मेरी बहना, विवेक जीजू ही तो तुम्हारे स्वामी हुए, कहकर नीता खिलखिला उठी थी।

फिर तो होली, दीवाली, दशहरा सब त्योहार आते और चले जाते। चार वर्ष ऑफिस और घर में ताल-मेल बैठाने-बैठाने कब गुजरा पता ही न चला।

रेखा कुछ काम तो समय से किया करो! मां को चाय दिया? प्लीज रेखा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे, तुम तैयारी कर लेना।

रेखा आज मेड नहीं आयेगी, तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना.....।

अरे अब बस भी करो ! हाथ जोड़ती हूँ, मैं सब काम कर तो रही हूँ ना ! कुछ तुम भी कर दिया करो।

तो क्या मैं बैठा रहता हूँ ? आखिर घर तो मैं ही चला रहा हूँ। तुम्हारी पगार तो तुम अपने और अपने मां-बाप पर खर्च कर देती हो।

मां-बाप पर मत जाओ ! रेखा जोर से चिल्लाई थी।

अरे बेटा ! थम जाओ ! अभी हम जिन्दा हैं। हमारे सामने जानवरों की तरह मत लड़ो, लक्ष्मी देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा।

अपने कमरे में जाकर गुस्से से भरी हुई रेखा ने फोन पर अपनी मां से कहा, मां ! अब बस ! मैं यहां अब नहीं रह सकती। मां ने समझाते हुए कहा, छोटी-छोटी बातों में तुनक मिजाजी ठीक नहीं। मां तुम नहीं समझोगी, कहकर

रेखा ने फोन काट दिया। उसने रोने की कोशिश की पर आंसू न निकले।

आज पलकों की जिद भी अजीब थी।

आंसुओं को रास्ता देने से मना कर दिया।

नाराज होकर आंसू अंदर जा छिपे

अगली सुबह लक्ष्मी देवी ने विवेक से कहा, बेटा, हमें कुंभ स्नान करा ला। सभी नाते-रिश्तेदार जा रहे हैं। रेखा तुम जाना चाहोगी ? विवेक ने रेखा से पूछा।

----- नहीं -----

रेखा का चेहरा भावहीन था। बेटी, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तू भी हमारे साथ चल। कुछ स्नान का रीति रिवाज मानना तो पड़ेगा, वरना समाज क्या कहेगा ?

अपनी पत्नी को टोकते हुए गुप्ता जी बोल पड़े, नहीं लक्ष्मी, रीति-रिवाज समाज के डर से नहीं माने जाने चाहिए। उसका पालन तभी तक करना चाहिए जब उन्हें निभाने में खुशी मिले। पता नहीं कैसा योग, संयोग अनुरोध था कि ससुर जी की बात सुनकर रेखा जाने के लिए राजी हो गई।

चारों व्यक्ति गाड़ी से महान स्नान पर्व में भाग लेने चल पड़े। गाड़ी में उम्रदराज खुश थे, कम उम्र वाले कुछ बुझे-बुझे से। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था।

पूरा रास्ता केसरिया झंडे और विज्ञापनों से भरा पड़ा था।

त्रिवेणी में एक डुबकी, और हजारों पापों से मुक्ति। महाकुंभ में जादू का अनुभव करें। गाड़ी में सब शांत थे, केवल एफएम (FM) रेडियो का शोर था।

'जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते चलो उतार-चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहो।'

अचानक गाड़ी में एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी

की बायीं वाली ग्लास मिरर टूट के सड़क पर जा गिरी।

सामने गाड़ियों का समुद्र था। दूर-दूर तक जाम नजर आ रहा था। विवेक गाड़ी से उतर कर बगल वाले गाड़ी के ड्राइवर से झगड़ने लगा। किसी तरह बीच-बचाव कर विवेक को गाड़ी में बैठाया गया। विवेक शायद तुम झपकी ले रहे थे, रेखा बोल पड़ी। तो क्या करूँ रात भर गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ तल्ख आवाज में विवेक ने कहा।

तो ड्राइवर रख लेते और दोनों फिर से शुरू गये।

गुप्ता जी ने रेडियो की आवाज बढ़ा दी।

‘प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, आर्य का आगाज है, है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है।’

भीषण जाम में गाड़ी धीरे-धीरे रेंग रही थी। आखिरकार चौबीस घंटों की जगह छत्तीस घंटों में वे अपने गंतव्य तक पहुँचे। मेला क्षेत्र बहुत ही भव्य था। वहां क्या दिन और क्या रात। चारों तरफ भीड़ और भागम-भाग। रात्रि के दो बजे भी दिन का अहसास हो रहा था।

खोया-पाया केन्द्र से कभी महिला, कभी पुरुष तो कभी बच्चे की आवाज आ रही थी। संगम किनारे सैकड़ों टेंट लगे हुए थे। फिर भी अनेक लोग इधर-उधर सोये पड़े थे।

एक कॉटेज में कुछ विश्राम करने के बाद भोर होने से पहले ही वे चारों स्नान के लिए निकल पड़े थे। विवेक अपनी माता के साथ आगे किसी तरह रास्ता बनाते हुए चल रहा था, और पीछे बाबूजी के साथ रेखा थी। लम्बी प्रतीक्षा, अनन्य आस्था, अबाध भक्ति, उमंग और भवनाओं के उमड़ते ज्वार का साक्षात्कार कर किसी तरह अपना स्नान पूरा कर वे संगम से निकले ही थे कि भीड़ का एक बड़ा सा रेला आया और उसमें सभी को समा लिया। वे भीड़ की सुनामी में घिर गये थे। पूरी तरह से भगदड़ मच चुकी थी।

विवेक चिल्लाया था, रेखा बचो नीचे मत गिरना मां का हाथ मत छोड़ना, बाबूजी किनारे की ओर बढ़िये।

मगर रेखा तो गिर चुकी थी। उठने की कोशिश बेकार। अनेक लोग गिर रहे थे और हजारों लोग उन पर चढ़कर भाग रहे थे।

रेखा ने फिर से उठने की कोशिश की मगर सफल न हुई और धीरे-धीरे होश खोने लगी।

मैं तो मर चुकी हूँ, शायद यमराज आये हैं, मुझे खींचकर ले जा रहे हैं। मैं स्वर्ग पहुँच चुकी हूँ, उफ स्वर्ग का पानी कितना ठंडा है ।

इधर विवेक किसी तरह मां को भीड़ से अलग करने में सफल हो गया। दस मिनट बाद बाबूजी भी लंगड़ाते हुए आते दिखाई दिए।

बाबूजी रेखा कहाँ है ?

आ जाएगी बेटा घबरा मत ! मां रोजे लगी थी, हे भगवान! मैंने ही उसे आने पर जोर दिया था, उसकी रक्षा करना।

मां, बाबूजी आप लोग कॉटेज में चले जाएं, मैं रेखा को लेकर आता हूँ।

मेरा फोन भी कहीं गिर गया है।

घंटो पागलों की तरह इधर-उधर वह रेखा को खोजता रहा। चारों ओर जूते-चप्पल, थैले, कपड़े, बैग और घायल लोग पड़े हुए थे।

भगदड़ में अनेकों की मौत भी हो चुकी थी। एक दुकानवाले से फोन मांगकर विवेक ने नंबर मिलाया मगर रेखा का फोन तो स्वीच-ऑफ बता रहा था।

दो दिन गुजर गये, उसने अपनी पत्नी को कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा। पुलिस, थाना, अस्पताल, संगम से लेकर शवगृह

तक। मगर रेखा को वह खोज न पाया।

मां - बाबूजी को किसी तरह समझा बुझाकर घर भेज दिया।

पांच दिन गुजर गये थे, विवेक बिल्कुल हताश था। उसका दिल यह कतई मानने को तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी अब नहीं रही।

उसने मन में ठान लिया था कि घर जाऊंगा तो रेखा के साथ वरना यहीं प्राण त्याग दूंगा।

उसकी हालत पागलों के समान हो गई थी। सारा दिन मारा-मारा फिरता, निगाहें केवल रेखा को ढूँढ़ती, थक-हार के कहीं बैठ जाता। लोग भिखारी समझ कुछ पैसा, खाना डाल देते।

सब कुछ ही तो जल गया विरह की इस आग में
बस बचे हुए हो तुम दिल में, दिमाग में,
क्या से क्या हो गये तुम्हारे अनुराग में,
केवल निर्मल अश्रु धारा है, प्रेम के प्रयाग में!

मेले के अंतिम छोर पर एक वैरागी बाबा अपनी कुटिया में धूनी रमाये बैठे थे। अचानक कुटिये से कुछ कराहने की आवाज आयी। बाबाजी ने चौंक कर देखा, घास-फूस की शय्या पर लेटे हुए शरीर में कुछ हलचल सी हुई।

माता तुम्हें होश आ गया? कौन हो तुम? वैरागी बाबा ने पूछा। हल्का अंधेरा और चिलम का गंध, रेखा ने धीरे से आंखे खोलते हुए वैरागी बाबा को देखकर चीखना चाहा पर उसके मुँह से कोई आवाज न निकली।

माता घबराओ मत, तुम्हें मैं संगम में खींचकर भगदड़ से बचाया था। पूरे पांच दिनों के बाद तुम्हें होश आया है। लो, यह जड़ी-बूटी का रस पी लो। एक खोपड़ी नुमा छोटी सी कटोरी में कुछ तरल पदार्थ देते हुए बाबा ने कहा।

रेखा ने कुछ बोलना चाहा पर उसके मुँह से आवाज न निकली। उसने अपने हाथों से कुछ इशारा करना चाहा पर उसके हाथ सुन्न पड़े थे।

माता लगता है दहशत से तुम्हारी बोलने की शक्ति चली गई है ! तुम विश्राम करो। भोलेनाथ ने तुम्हें बचाया है, वही तुम्हारी आवाज भी वापस करेंगे। कल हमारा काफिला यहां से प्रस्थान करेगा। हमारी इच्छा थी कि होश आने पर तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिला दूँ, पर भोलेनाथ को जो मंजूर है, वही होगा।

रेखा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। बाबाजी विवेक मेरे पति हैं, वह यहीं कहीं होंगे। विवेक कहाँ हो? मैं यहां कुटिया में हूँ, पर उसकी आवाज घुट के रह गई।

पौ फटते ही साधु-संतो का काफिला वहां से चलने की तैयारी में लगा था। उनकी बातों से यह जाहिर हुआ कि वे लोग रास्ते में किसी पुलिस चौकी में रेखा को छोड़ते हुए चले जाएंगे।

धीरे-धीरे ट्रक का काफिला मेला - क्षेत्र को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था।

ट्रक के पीछे के हिस्से में रेखा एक बल्ले का सहारा लिये निढाल सी बैठी शून्य में निहार रही थी। अचानक उसकी नजर उस बेसुध व्यक्ति पर पड़ी जो गंगा घाट पर अधमरा सा सोया पड़ा था।

रेखा जोर से चीख पड़ी, स्वामी S S S S S स्वामी S S S S S।

उसकी आवाज हवा में दूर-दूर तक गूँजती चली गई। बेसुध सा पड़ा विवेक एक छलांग में उठकर खड़ा हो गया, और आवाज की दिशा में दौड़ने लगा था।

यह तो मेरी रेखा की आवाज है।

गाड़ीवाले को रोक दिया गया। रेखा तब तक चिल्लाती

रही जब तक बेसुध होकर विवेक की बांहों में न गिरी।
वैरागी बाबा ने रेखा को सौंपते हुए कहा हे भोलेशंकर;
माता पार्वती को संभालो।

संतों का काफिला अपने रास्ते चला गया।

घर लौटते समय गाड़ी में दोनों एक दूसरे के हाथ थामे
बैठे थे, मानों नववधू विवाह के बाद ससुराल जा रही हो।

तुम क्या सोच रहे हो? रेखा ने पूछा।

विवेक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया - न मैं तुम्हें खोना
चाहता हूँ न मैं तेरी याद में रोना चाहता हूँ। जब तक है सांसे
मेरी इस जिंदगी में, मैं बस तेरे साथ जीना चाहता हूँ।

तुम क्या सोच रही हो?

यही कि तुम दो-तीन दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर घर
संभाल देना।

नहीं मैं क्यों छुट्टी लूँ, तुम ले लेना! ।।

हद है - बार-बार मैं क्यों छुट्टी लूँ?

बाहर तेज लाउडस्पीकर के आवाज के साथ---संतों का
काफिला चला जा रहा था -

रामचंद्र शंकर का भजन कर,

शिव के भजन कर

कहन लगे शंकर भोले, ओर खोल पलक बम दिखे
नाथजी।

बंगड़ बम, अगड़ बम बम्म बम्म बम लहरी।

रूपा भट्टाचार्य

पत्नी - श्री शुभाशीष भट्टाचार्य

सेवानिवृत्त उप मुख्य परिचालन प्रबंधक

मेट्रो रेलवे/कोलकाता

नारी

नारी तुझे सलाम

तू है शक्ति

तू है आदर्श

मां के रूप में ममता की मिसोल

बहन के रूप में स्नेह कमाल

पत्नी बनकर निभाती साथ, हर सुख-दुख

बेटी बनकर जगमगाती, घर आंगन का रूप।।

नारी तुझे सलाम

सपनों को सच करने की तुझमें है हिम्मत अपार

तेरा साथ देती है, किस्मत संवार

संघर्षों में भी तू न थकती

हर कदम पर नई उम्मीद है बुनती।।

नारी तुझे सलाम

हर रूप में है तेरी असीम शक्ति

हर दिल की है तू एक आशा

हर पल हर समय आगे बढ़ने की अकांक्षा

महिला तेरे विन अधूरी है मानवता की परिभाषा।।

नारी तुझे सलाम

ऋचा अम्बष्टा

पत्नी-पी.पी.अम्बष्टा

सहायक कार्यपालक अभियंता/निर्माण

सुपाड़ी के खिलौने

‘रीवा’ भारत के मध्यप्रदेश राज्य का एक छोटा सा शहर है, यह जिला भी है। रीवा शहर कई बातों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सफेद बाघ, सफेद बाघ की नस्ल रीवा के जंगल में पाई गई थी, आज पूरे विश्व में सफेद बाघ रीवा की ही देन है। रीवा राज्य के राजा के यहां तानसेन और बीरबल दरबारी थे जिन्हें अकबर को भेंट स्वरूप दिया गया और वे नौ रत्नों में शामिल हुए।

रीवा सुपाड़ी के खिलौनों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है।

राजघराने के लिए उपहार बनाने से इस कला की शुरुआत हुई। स्वः रायसिया बुन्देल ने सुपाड़ी की सिन्दुर की डिब्बी बनाई, जिसे उन्होंने राजा गुलाब सिंह को उपहार दिया जिसे उन्होंने पंडित जवाहर लाल नेहरू को गिफ्ट दिया।

यहां के शिल्पी तब से सुपाड़ी को तराश कर भांति-भांति की आकृतियां बना रहे हैं। सुपाड़ी से गणेश, राधा कृष्ण, लक्ष्मी, शिवजी आदि भगवानों की मूर्ति के साथ-साथ मंदिर, लैम्प आदि कलात्मक चीजों को भी बनाया जाता है।

हमारे देश की विडम्बना है कि यहां कलाकारों को वो पहचान और सुविधाएं नहीं मिलतीं जो अन्य देशों में मिलती हैं। इसलिए रीवा के ही ज्यादातर नागरिकों को सुपाड़ी के खिलौनों के बारे में अब विशेष जानकारी नहीं है।

प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका में एक बार रीवा के सुपाड़ी के

खिलौनों के बारे में पढ़ने को मिला कि ये विश्व प्रसिद्ध हैं और निर्यात होते हैं। हम इनके बारे में और पता करने निकले तो वहां के किले के पास गलियों में बने कई पुराने घरों में बाहर रंग उड़ा बोर्ड मिला - ‘यहां सुपाड़ी के खिलौने बनते हैं’ छोटे-छोटे दो कमरों वाले अंधेरे मकानों में वे कारीगर रहते हैं जो सुपाड़ी को तराशकर उसे आकृति प्रदान करते हैं। उनके पास दिखाने के लिए विशेष कुछ खिलौने नहीं थे। उन्होंने दो-चार गणेश जी की मूर्तियां दिखाई और



एक-दो साधारण से खिलौने। अलबत्ता उनके पास पुराने एलबम हैं जिसमें उनके बनाए खिलौनों के सुंदर फोटो हैं।

पूछने पर उन्होंने बताया कि ऑर्डर पर वे खिलौने बनाते हैं, बनाकर नहीं रखते क्योंकि

उनके पास न तो पर्याप्त धन है और न ही रखने की पर्याप्त जगह।

उनकी खस्ता हालत देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि ये विश्व प्रसिद्ध सुपाड़ी के खिलौने बनाने वाले शिल्पी हैं।

अगर इन कलाकारों को संरक्षण न मिला तो धन के अभाव में ये अन्य कार्यों की ओर मुड़ जाएंगे और ये कला हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी इसलिए समय रहते इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

अलका सिंह परिहार

पत्नी-श्री आर.एन.एस.परिहार
सेवानिवृत्त-म.प्र.के सचिव

इस क्षण

कल की चिंता थी ..

अब कल की चिंता है..

आज कहाँ है... आज कहाँ है ?

मैं यह था ..

मैं वह हो जाऊँ ..

आज क्या है ?

किसको पता है ?

न कल वश में था..

न कल वश में होगा ..

है तो बस आज ही है

मन भटकता ही रहा ..

भटकता ही रहता है ..

सुकून कहाँ है ?

न कल बदला..

न कल बदलेगा ..

आज कहाँ है ?

मंडराता मंडराता और मंडराने चला है ..

रुक जा, संभल जा, दम भर सांस भर देख अभी कहाँ है...

सुकून तो बस इस पल यहाँ है

विशाल अस्मित ब्रह्मांड में विचरता नश्वर इंसान है.

और यह ब्रह्मांड तो बस इस नश्वर के अंदर ही

विराजमान है ..

यह संपूर्ण ब्रह्मांड तो बस इस नश्वर के अंदर ही

विराजमान है ..

रुक संभल दम भर सांस ले,

जी! जी इस पल को

सच तो अंदर ही है..

ढूँढ़ता कहाँ बाहर है ..

सच तो अंदर ही है..

ढूँढ़ता कहाँ बाहर है ...

प्यार, क्रोध, लालच...

प्यार, क्रोध, लालच..

नश्वर है.. नश्वर है ...

है ...मोह माया का जाल है ..

कल फिर कल कहाँ है ?

मन की शांति शून्य की तरह शांत है

सुकून बस यहाँ है

जी भर जी ले जरा

सुकून बस यहाँ है

मन के भीतर समाया सारा संसार है ..

सुकून बस इस क्षण में यहाँ है।

रत्ना गर्ग

पत्नी-श्री देवेन्द्र कुमार

मु.इंजी/निर्माण/

मेट्रो रेलवे कोलकाता

‘उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती हो अर्थात हिंदी।’

- रवीन्द्रनाथ ठाकुर

गजब अनुभव इस पीढ़ी के

मानव सभ्यता बहुत ही प्राचीन है, लेकिन हमें सभ्यता के बारे में सटीक जानकारी इतिहास के पन्नों को खंगालने से मिलती है। जब हम सभ्यता की बातें करते हैं तो हम उस जमाने में लोगों के रहन-सहन, उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, उनकी संस्कृति तथा उनके द्वारा आविष्कार की गई वस्तुएं, आदि के बारे में विचार करते हैं। लेकिन जब अनुभवों की बातें होती हैं और किस पीढ़ी ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक परिवर्तन देखा है, अनुभव किया है तो हमारे मानस पटल पर सहज ही यह भाव उभर कर आता है कि 60-70 के दशक में जिस पीढ़ी ने इस संसार में जन्म लिया है, उस पीढ़ी ने अपने जीवन में जितना आमूल परिवर्तन, जितना विकास और नित्य नए-नए खोज देखे हैं, अनुभव किया है और रोज अपने जीवन में नए-नए आयाम जोड़ता गया है, शायद ही किसी पीढ़ी ने ऐसा देखा हो अथवा अनुभव किया हो। आज भी यह पीढ़ी नित्य नए खोजों से रुबरु हो रही है।

इस दशक में जन्म लेने वाले एक ऐसी पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जिस पीढ़ी ने जीवन में घटित सबसे ज्यादा बदलाव देखे हैं। मसलन इस पीढ़ी ने लालटेन अथवा दीपक में अपनी पढ़ाई की है, शहरों में स्ट्रीट लैंप की पीली रोशनी का भी आनंद उठाया है। बचपन के उन दिनों को शायद ही कोई भुला सकता है यानि कि बचपन के यादगार सुनहरे लम्हों को हम सभी यादों रूपी माला में पिरो कर रखते हैं। बचपन के खेलों में गुली-डंडा, कंचा खेलना, लुका-छिपी का खेल, पकड़न-पकड़ाई, कबड्डी, पिटू आदि खेलों से शुरूआत करते हुए आज के सबसे मनोरंजक खेल क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केट बॉल का भी आनंद उठाया है। बचपन के दिनों में दादा-दादी, नाना-नानी के पास बैठकर परियों की कहानी, भूत-प्रेतों की कहानी, राजा-रानियों की कहानी, देवी

देवताओं की कहानी, रामायण, महाभारत की कथाएं आदि। भूत-प्रेतों की कहानी सुनकर तो मन में डर से सिहरन पैदा हो जाती थी और उस रात में तो हम डर के मारे अंधेरे में निकलने से डरते थे। कितना सादगी भरा जीवन था लोगों का और आपस में कितना प्रेम एवं स्नेह था। लोग जुबां से नहीं, दिल से बोलते थे, उनके मुख से निकले हर बात उनकी दिल की उद्गार होती थी। बड़े-बुजुर्गों को हम श्रद्धा की नजर से देखते थे तो वे भी हमें स्नेह से।

लोगों की दिनचर्या प्रातः सूर्योदय से पहले शुरू हो जाती थी एवं शाम होते होते अंधियारों के साथ घर में सिमट कर रह जाती थी। हाँ, बड़े शहरों में रात को थोड़ी बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन छोटे शहर अंधियारा गहराने पर धीरे धीरे सिमटते चले जाते थे। गावों एवं कस्बों में प्रातः लोगों की नींद पक्षियों के कलरव के साथ खुलती थी एवं रात झींगुरों की आवाजों के साथ मीठी नींद में गुजरती थी। उस दौर में गांव में ज्यादातर विद्यार्थियों का स्कूल या तो खुले आकाश के नीचे पेड़ों के तले और या तो छोटे-छोटे विद्यालयों में होता था।

उस दौर के लोगों ने बचपन में बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ागाड़ी की सवारी की है, तो शहरों में दौड़ती बड़े जोरों से घड़-घड़ की आवाज करती हुई बसों एवं कलकत्ता में सड़क पर दौड़ती हुई ट्रामों की सवारी भी की है। छुक-छुक करती धुआं फेंकती भाप से चलने वाली वो काले रंग के रेल इंजन जिसकी सवारी अविस्मरणीय थी। रेडियो, ट्रांजिस्टर पर आकाशवाणी एवं विविध भारती, बीना का गीतमाला, सफेद काले दूरदर्शन पर तरंगें लेती हुई तस्वीरें, रविवार के दिन चित्रमाला का सुबह-सुबह इंतजार, वाकई अपने आप में अनूठा था। एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा, पाँच पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, पीतल के पैसे और

इन थोड़े पैसों में मिठाइयां खरीदी जाती थीं एवं मेलों में मिट्टी के रंग-बिरंगे खिलौने।

मुझे तो ज्ञात होता है कि यह पीढ़ी हवाई जहाज से लेकर मंगल में पहुँचती उपग्रह, ध्वनि से कई गुणा ज्यादा रफ्तार से चलने वाली रॉकेट, समुद्र की लहरें नापती विशालकाय जहाज, टेलीफोन, टेलीग्राम, दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण, कंप्यूटर, मोबाईल, लैपटॉप, इंटरनेट, गूगल, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम, विडिओ कॉलिंग और न जाने कितने आंखों को

झूठला देने वाले सच को होते हुए तो देखा ही है, उम्मीद है न जानें और कितने अजीबों गरीबों कारनामों का साक्षी ही नहीं अपितु उसका अनुभव भी कर पाएगा। आने वाले निकट भविष्य में यह पीढ़ी झोपड़ी से लेकर चांद पर घर बनते हुए देखने का सपना भी साकार होते हुए देखेगा। यह इस पीढ़ी की उपलब्धि है जिसने इतने बदलाव एवं असंभव को संभव होते हुए देखा है और आगे भी देखेगा।

राजेश कुमार राम
महाप्रबंधक के निजी सचिव-।

मैं एक नारी

मैं एक नारी हूँ 'नारी-शक्ति'
आज मैं हर पन्ने पर हूँ
हर दिमाग में
हर मन में
बस मैं ही हूँ
हर तरफ
पूरे संसार में
सारे ब्रह्माण्ड में,
हर मोबाईल में,
हर खबर में,
पर क्या मैं,
सचमुच में वहीं हूँ?
यह प्रश्न है मेरा,
अपने आप से,
कि मैं कहां हूँ?
कहीं मैं वहां तो नहीं हूँ,
जो जल रही होगी कहीं दहेज के लिए,
या लुट रही होगी,

कहीं सुनसान हवेली में,
कहीं मैं वो तो नहीं हूँ,
जो बिक रही होगी किसी बाजार में,
और रो रही होगी अपनी,
अस्मत् को बिकता देख कर,
हां शायद मैं वही हूँ,
घर की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच झूलती हुई,
हां मैं वही हूँ
'नारी-शक्ति'
जो सिर्फ नारी
जो कल भी थी और कल भी रहेगी,
सिर्फ पन्नों पर,
कहानियों में, स्टेटस में,
पुरुष प्रधान सामाज में संघर्षरत,
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए.
जूझती हुई -
एक नारी

सरला शामकुले
पत्नी - श्री विकास जी शामकुले
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक

जीवन का आधार - सादा जीवन उच्च विचार

सुमित्रानंदन पंत जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, की एक बड़ी विख्यात सी कविता है, आह! धरती कितना देती है -

मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे,
सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे,
रूप्यों की फलदार मधुर फसलें खनकेंगी,
और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा।-

पैसों की फसल नहीं उगनी थी, नहीं उगी किंतु

कवि का बचपना और उनके कोमल हृदय की कल्पना शक्ति ने बालपन में ही उर्वरा धरती की इस अकूत क्षमता का रहस्य जान लिया था,

कविता का शीर्षक तब भी उतना ही सार्थक था, जितना आज है सचमुच धरती कितना देती है। मनुष्य रूप में हम इतने लालची लोभी और धन लोलुप हो गए हैं और प्रकृति, धरती का दोहन उस स्तर तक करते जा रहे हैं कि हमारी मनुष्यता, सभ्यता, अस्तित्व सब कुछ विनाश के कगार पर आ खड़ा हुआ है किंतु हमें होश नहीं है। पहाड़ों पर भू-स्खलन के कारण हजारों की जान गई। कोयले के खदान धंसने के कारण कई मजदूर काल के गाल में समा गए। कभी अमेरिका में आग लगने के कारण जंगल-शहर व वन्य जीवन तहस-नहस, तो कभी जापान-अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से तबाही, तो कभी नदियों में बाढ़ और समुद्र में भयंकर तूफान के कारण जान-माल की भीषण क्षति।

ये सारी घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं कि पृथ्वी का वजन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृतिक आपदाएं आती हैं।

भारतवर्ष प्राचीन काल से ऋषि मुनि प्रधान देश रहा है। वेद-पुराण और धार्मिक साहित्य में भी 'संतोषम परम सुखम' के उपदेश भरे पड़े हैं, फिर ये आज का समाज, आज की पीढ़ी और हमारे जीवन मूल्य 'भौतिकतावाद' की अंधी दौड़ में क्यों भाग रहे हैं?

और अधिक पैसे, एक और फ्लैट, एक बड़ी गाड़ी तथा एक अगला प्रमोशन जैसे लक्ष्य हमारी जिंदगी का ध्येय बन गए हैं। जिंदगी मशीनी और रिश्ते नाम के रह गए हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया की बनाई गई सपनों की जिंदगी जीने की होड़ में हमने जमीन, मिट्टी, वन-जंगल, धूप और हवा जैसी नेमतों से मुँह फेर लिया है।

जीवन जीने के लिए और खुश रहने के लिए बेहद आम सी चीजें जरूरी होती हैं। जैसे:

* धूप - जिससे न केवल विटामिन 'डी' मिलता है शरीर बल्कि सारे दिन स्फूर्ति भी बना रहता है। इसलिए सुबह को धूप सेंकना बहुत आवश्यक है, कई रोग दुःख जड़ से नष्ट हो जाते।

इसके लिए हमें न केवल देर रात तक टी.वी. देखने और जागे रहने की आदत छोड़नी होगी, बल्कि सुबह उठना भी होगा।

* व्यायाम - कसरत या व्यायाम न केवल शरीर के लोच (Flexibility) के लिए करना चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि व्यायाम से हड्डियां मजबूत होती हैं, सही पौष्टिक मिलता है और शरीर पर बे-वजह मोटापा नहीं चढ़ता तथा पाचन तंत्र सही रहता है।

* ताजा-सुपाच्य भोजन - ताजा बना भोजन, किसी रामबाण औषधि की तरह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व

देता है। गर्म और सुस्वादु सादा भोजन, आज की इस भागदौड़ भरी जीवनशैली में, केवल सप्ताहांत में ही नसीब होता है। पर इस कारण बाहर से पिज्जा, बर्गर, चायनीज आर्डर न करें। घर की रोटी-सब्जी ज्यादा असरदार और सेहत से भरी होती है। खाने से पहले फाइबर यानी फल-सब्जी-सलाद खाना एक अच्छी आदत है।

* शौक(Hobby) - संतुष्ट और भरी-पूरी जिंदगी जीने के लिए हम में हर एक को कोई शौक (Hobby) जरूर पालना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य जिसे कर के आपको आंतरिक और दिली खुशी हासिल हो, जरूर करें। बागवानी, संगीत, नृत्य, लेखन, ट्रेकिंग, कुछ भी ऐसा जरूर करें जिसमें आपको बचपन से रुझान हो।

* जिंदगी भरपूर जीएं, अपनी सोच सकारात्मक रखें, जरूरतमंदों की मदद करें। जिस धरती ने हमें पाला-पोसा, जिस समाज में हमारी परवरिश हुई उस धरती उस समाज में विकृति न आए, ऐसी कोशिश करें। जिस ईश्वर को मानते हो, उनके शुक्र गुजार रहें। और अंततः यह याद रखें कि इच्छाओं की, चाहतों की कोई सीमा, कोई अंत नहीं होता। अल्प में खुश रहें। नई पीढ़ी को अपनी जीवन मूल्यों की धरोहर, जीवन जीने का गुर जरूर बताएं। अपनी संस्कृति, संस्कार, पर्व-त्यौहार की महत्ता अगली पीढ़ी तक अवश्य पहुंचाएं।

खुश और बेफिक्र हो कर जीएं, याद रखें जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली।

साथ ही यह भी याद रखें

गो धन गज धन बाजिधन, और रतन धन खान।

जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान।।

सागरिका बोस

सुपुत्री-श्रीमती किरण बोस
राजभाषा अधिकारी

द्वंद्व अंतर्मन

(लघु लेख)

आज सुबह-सुबह आदेश जारी हुआ।

-क्या हर वक्त सोते रहते हो, चलो उठो। अपने मामा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ।

फरमान प्राप्त होते ही पूरी ताकत लगाकर बिस्तर से उठे और तुरंत हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए। आखिर! हो भी क्यों न, आज मोटरसाइकिल पर हाथ अजमाने का मौका मिलेगा। युवा मन में और आकांक्षा भी क्या होगी, मौज मस्ती - सैर सपाटा।

मामा जी को पीछे बैठा कर झुलाते हुए बाइक लेकर निकल गए। मामा जी के पैर में किसी वजह से घाव हो गया था, उसी का इलाज पास के ही एक कस्बे में चल रहा था। वहां जाने पर डॉक्टर साहब अपना अनुभव कौशल दिखाते हुए, मामा जी को दो डांट लगाए और मलहम पट्टी कर दवाई की पर्ची हाथ में थमा दिए। जाओ, पास के मेडिकल शॉप से ले लेना।

जब मेडिकल शॉप पर अपनी दवाई पैक करवा रहे थे, तभी बुजुर्ग दंपति ने दस्तक दी। पर्ची देते हुए पूछे कि भैया दवाई कितने की है? तीस रुपये - वो बोला। अपने चादर से रूपए निकालकर गिनने लगे, अरे ये तो 30 रूपए हैं, इतना जाने का किराया ही लग जाएगा।

वहीं पास खड़ा मैं भी उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो दुखी मन से बोले-भैया रख लीजिए हम दे नहीं पाएंगे। थोड़ी देर पहले वो डॉक्टर साहब से बोल रहे थे कि थोड़ी सस्ती दवाई लिखना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उनकी स्थिति देखकर लगता भी था कि अभाव की मार से त्रस्त हैं।

मन हुआ कि दस बीस रुपये की मदद कर दूँ। जेब में हाथ डाला, मात्र दस रूपए निकले। कई बार प्रार्थना करने पर जब दवाई नहीं मिली, वो बुजुर्ग बिना दवाई लिए चल दिए। मैं अफसोस के साथ जड़ सा खड़ा देखता रह गया। मन में इसी अंतर्द्वंद्व के साथ की आज कमाते तो मदद करते, प्रस्थान किए अपने गंतव्य की ओर।

अमित कुमार जैना

रे.सु.ब.,पोस्ट,बेलगछिया

भारतीय संविधान में महिलाएं

‘यत्र नार्यरतु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ अर्थात् जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। भारतीय समाज के संदर्भ में कही जानेवाली यह उक्ति नारियों के प्रति समाज की लोकभावना को प्रदर्शित करती है। हालांकि, इतिहास गवाह है कि भारतीय समाज सदैव से ऐसा नहीं रहा है जहां स्त्रियों को उनका यथोचित सम्मान और अधिकार दिया गया हो। उन्हें मनुष्य के रूप में जीवन जीने के समान अवसर दिए गए हों। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो भारतीय समाज में स्त्री शोषण और उत्पीड़न के कई वीभत्स प्रसंग नजर आ जाएंगे। भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति अंतर्विरोधों से भरी हुई है। भारतीय परंपराओं में नारी को शक्ति का रूप माना गया है, पर आम बोलचाल में उसे अबला भी कहा जाता है। कहीं स्त्री को अत्यंत श्रेष्ठ मानते हुए उन्हें देवी तुल्य और पूज्य बताया गया है, तो वहीं उन्हें काम-वासना का मूर्त रूप मानते हुए मुक्ति-मार्ग में बाधक भी बताया गया है। भारतीय समाज में भले ही सैद्धांतिक रूप से स्त्रियों को सम्मान और आदर देने की बात कही गई है, परंतु समाज हो, घर हो या परिवार, सभी जगह और सभी कालों में अगर कुछेक अपवादों को छोड़ दें तो स्त्रियां शोषित और प्रताड़ित ही होती रही हैं और इनके विरोध में शायद ही प्रतिरोध की कोई मुखर आवाज उठी हो। भारतीय शासनतंत्र में अंग्रेजों के आगमन के उपरांत शिक्षा के व्यापक प्रसार और कुछेक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बदौलत भारतीय जनमानस में स्त्री अधिकारों के प्रति नवचेतना का संचार हुआ। इन्हीं धर्मसुधार आंदोलनों की पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी शासन ने कड़े कानून बनाकर सती प्रथा, बाल विवाह, बलि प्रथा, देवदासी प्रथा, छुआछूत प्रथा, स्तन टैक्स प्रथा जैसे कई स्त्री

विरोधी अमानवीय प्रथाओं का अंत किया। आजादी के बाद स्त्रियों को उनके समुचित अधिकार प्रदान करने के प्रयास में संविधान में नारी हितैषी कई प्रावधान किए गए जिनके संरक्षण में उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया गया। संवैधानिक उपबंधों में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों के साथ-साथ उनके लिए अलग से विशिष्ट नियम, अधिनियम बनाए गए जिससे उन्हें समाज में सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक मिला। संविधान प्रदत्त अधिकारों के बदौलत आज महिलाओं की स्थिति प्राचीन समय की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है। वे घरों की दहलीज से निकलकर शिक्षा, व्यवसाय, वाणिज्य, कला जैसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। परंतु इन सबके बावजूद आज भी समाज में कहीं न कहीं स्त्रियों की काबिलियत को निम्नतर या कमतर आंका जाता है। आज भी उन्हें पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आए दिन उन्हें घरेलू हिंसा, लिंग भेद, शारीरिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। देखा जाए तो भारतीय समाज में ऐसी कितनी ही स्त्रियां हैं जो इन संविधान प्रदत्त अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक हैं। यही वजह है कि कई बार पर्याप्त जागरूकता के अभाव में, तो कई बार समाज और घर परिवार के दबाव में, कई बार लोकलाज के ख्याल से और कई बार नारी सुलभ सहनशीलता के कारण वे अपने ऊपर होनेवाले सामाजिक एवं घरेलू अत्याचारों (मानसिक या शारीरिक) को नजरअंदाज करती हैं, सहन करती हैं। वस्तुतः भारतीय समाज में स्त्री मानसिकता ही ऐसी है कि वे तुरंत ही कोई कानूनी उपचारों का सहारा लेने से बचना चाहती हैं। वे अपने विचारों में विवाह, बच्चे, परिवार,

समाज आदि को कहीं अधिक प्राथमिकता देती हैं और इसे बचाए रखने के प्रयास में अक्सर परिस्थितियों से समझौता करने को तैयार रहती हैं।

हमारे देश में कई ऐसी प्रथाएं रही हैं जिनकी आड़ में स्त्रियों पर खुलकर अत्याचार और शोषण किया गया और ये भारतीय समाज के लिए एक कलंक की तरह थी। आज भी जब कभी उन प्रथाओं का स्मरण करते हैं तो उनकी कल्पना मात्र से स्त्री जाति की बेबसी और उनकी बदहालती का सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

सती प्रथा: यह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके तहत किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पर उस स्त्री को अपने पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। विधवा नारी से जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जाता था। परंतु पुरुष के लिए इस प्रकार की कोई बाध्यता न थी। वे विधुर होने के बाद दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र होते थे।

बाल विवाह: इस प्रथा में स्त्रियों को बहुत कम उम्र में ब्याह कर दी जाती थी जिसमें पुरुष की उम्र को नजरअंदाज किया जाता था। कई बार बालिकाओं का विवाह अपने से अधिक उम्र के पुरुष से कर दिया जाता था। इस प्रकार की प्रथा में नारी की इच्छा अनिच्छा का कोई अधिकार नहीं था।

बहुपत्नी प्रथा: हलांकि यह प्रथा बहुत आम नहीं थी। परंतु कुछ प्रांतों में यह स्त्री शोषण का एक अन्य तरीका था। पुरुष कई पत्नियां रख सकते थे, भले ही वे उनका यथोचित पालन पोषण कर सकें या नहीं।

देवदासी प्रथा: इस प्रकार की प्रथाओं की आड़ में स्त्रियों को मंदिर की सेवा के लिए दासी के रूप में रखा जाता था और पुजारियों और प्रबंधकों द्वारा उनका दैहिक व अन्य प्रकार से शोषण किया जाता था।

दहेज प्रथा: यह कुप्रथा लगभग भारतीय समाज के सभी हिस्सों में थी। इसका शिकार भी स्त्रियां ही हुआ करती थीं। कई बार स्त्री को इसके लिए हिंसा का सामना करना पड़ता था और वे दहेज हत्या की शिकार भी होती थीं।

जौहर : इस प्रकार की प्रथा में युद्ध के दौरान राजाओं की हार होने पर राजघरानों की स्त्रियां एवं अन्य स्त्रियां अपनी इज्जत बचाने के नाम पर जलती हुई आग की चिताओं में अपने प्राणों की आहुति देती थीं।

परदा प्रथा: इस प्रकार की प्रथा में स्त्री को अपना चेहरा कपड़ों से ढंककर रखना होता था ताकि कोई गैर पुरुष उन्हें न देख पाएं। इस प्रकार स्त्री को उसकी इच्छा के अनुकूल जीवन जीने के अधिकार छीन लिए जाते थे।

छुआछूत प्रथा : इसमें छोटी जाति की स्त्रियों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे।

इस प्रकार की और भी अनेकानेक कुप्रथाएं भारतीय समाज में विद्यमान थी जिनके कारण स्त्रियों को अपमानजनक जीवन व्यतीत करने को विवश होना पड़ा। परंतु आजादी के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं और सामान्य जनमानस ने स्त्रियों को उनके मानवोचित अधिकार प्रदान करने के प्रयास में तमाम स्त्री विरोधी प्रथाओं पर आघात करते हुए उनके उन्मूलन के लिए संविधान में व्यापक प्रावधान किए और नारी जाति को एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के सभी कानूनी अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गईं। स्त्री अधिकारों को सुनिश्चित करनेवाले कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधान निम्नानुसार हैं :

अनुच्छेद 14 : महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 15(1): धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है

अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है

अनुच्छेद 16: किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 19: महिलाओं को आवागमन, निवास, और व्यवसाय करने की आज़ादी देता है।

अनुच्छेद 23-24: महिलाओं के खिलाफ होने वाले शोषण को दंडनीय बनाता है।

अनुच्छेद 39 (ए) में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा।

अनुच्छेद 39 (डी) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश देता है।

अनुच्छेद 42 में प्रावधान है कि राज्य न्यायोचित एवं मानवोचित कार्य की स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा।

संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों के अलावा समय समय पर स्त्री अधिकारों से संबंधित कई कानून बनाए गए जिनके संरक्षण में उनकी स्थिति और भी बेहतर हुई है।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 : इस कानून के तहत सरकारी या गैर सरकारी कंपनी में कार्यरत हर महिला के लिए छह महीने के सवैतनिक अवकाश का अधिकार दिया गया।

सुरक्षित गर्भपात का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विवाहित या अविवाहित सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार प्रदान किया गया है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 : इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान किया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 : महिलाओं को एक सुरक्षित कार्य स्थल सुनिश्चित करने के प्रयास में इस अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को कार्यस्थलों पर होनेवाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से बचाव का अधिकार दिया गया।

प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार (घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005) : इस अधिनियम के तहत महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया गया।

लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1986 (मुफ्त कानूनी सहायता) : इसके द्वारा महिलाएं किसी भी कानूनी मामले में निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

गुजारा भत्ता पाने का अधिकार : पति से तलाक होने की स्थिति में हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाहित स्त्री को अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम : यह अधिनियम स्त्री को अपने पैतृक सम्पत्ति में पुत्रों के समान बराबर का हक प्रदान करता है।

हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम : इस अधिनियम द्वारा हिंदू विधवा विवाह को वैध बनाया गया।

बाल विवाह निरोधक अधिनियम : यह अधिनियम विवाह की निश्चित आयु निर्धारित करने के लिए बनाया

गया ताकि बाल विवाह जैसे प्रचलन को कड़ाई से रोका जा सके।

इन समस्त नियमों-अधिनियमों के अतिरिक्त और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जैसे कि यौन उत्पीड़न मामलों में महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार, रात में महिला को गिरफ्तार न करने का अधिकार, किसी महिला की गिरफ्तारी में महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति का अधिकार, किसी के द्वारा पीछा न किए जाने का अधिकार, अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल की शिकायत का अधिकार, रात्रि कार्य पर प्रतिबन्ध आदि।

अब प्राचीन काल समाप्त हो चुका है अतः महिला उत्पीड़न की परंपरा भी लुप्त होनी चाहिए। भारतीय संविधान में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं। और इन्हीं व्यवस्थाओं के बदौलत समाज में स्त्रियों की स्थिति में आज क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। महिला कानून की उपस्थिति ने स्त्रियों को एक भयमुक्त माहौल प्रदान किया है और इनके संरक्षण में वे जीवन के हर क्षेत्र में अपने कदम रख रही हैं। आज हर तबके की महिला को अपने अधिकारों को जानने और उनके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है अन्यथा उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कागजों पर ही सिमट कर रह जाएंगी। आवश्यकता इस बात को समझने की भी है कि महिलाओं के लिए बने कानून के प्रति समाज कितना संवेदनशील है। स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति कितनी जागरूक हैं।

कीर्ति किरण बागे
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

फिर से

आओ,
फिर से शुरूआत करें।
जो हुआ सो हुआ।
बैठकर चिंता करना बेकार है।
समय की बर्बादी है।
आओ,
फिर से शुरूआत करें,
जो हुआ सो हुआ।
हारे हुए मन में,
थके हुए मन में,
नए उमंग की आग जला।
आओ,
फिर से शुरूआत करें,
जो हुआ सो हुआ।
जो हुई है भूल,
उसे नहीं है दोहराना।
मिली है हार,
तो रुकना नहीं है।
आगे बढ़ते ही जाना है।
आओ,
फिर से शुरूआत करें,
जो हुआ सो हुआ।
मिल गई है मंजिल
तो नए मंजिल की तलाश कर।
एक जगह पर रुकना नहीं।
रास्ते का पत्थर बनना नहीं।
आओ, फिर से शुरूआत करें,
जो हुआ सो हुआ।

राजेश कछप
आरक्षी, रे.सु.ब., कालीघाट

बचपन के दिन भूतों के संग

कभी सोचा न था कि भूतों और आत्माओं पर भी कभी कुछ लिखने का मौका मिल सकता है। रेलवे के राजभाषा विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए लगभग 25 वर्ष होने को आए हैं। राजभाषा के प्रयोग-प्रसार के क्रम में राजभाषा पत्रिकाओं का प्रकाशन हमारी पद जनित दायित्वों में शामिल है। वर्ष के दौरान इसके न्यूनतम 04 अंकों का प्रकाशन हमारे निर्धारित कार्यों का हिस्सा है। तो इस कवायद में पत्रिका के प्रकाशनार्थ रचनाओं के अभाव में हम नियमित रचनाकार से हो गए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हमने विगत कई वर्षों में पत्रिका के लिए विभिन्न विषयों पर कई लेख, रचनाएं, कहानियां, कविताएं, संस्मरण आदि के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे ही अब तो सोचना पड़ता है कि किस विषय पर रचनाएं लिखी जाएं। ऐसे ही इस अंक के लिए किस विषय पर लिखूँ, इसी उधेड़भुन में था कि एक सुबह किसी समाचार पत्र में भूतों से जुड़ी एक रोमांचक कहानी पढ़ी, तो सहसा



मानसपटल पर अपने गांव के उन दिनों की स्मृतियां सजीव हो उठीं जब बाल्यकाल में गांव में रहते हुए वहां के लोगों से भूत प्रेतों, आत्माओं और चुड़ैलों के अजीबोगरीब किस्से सुन रखे थे। कुछ किस्से तो इतने डरावने होते थे कि उन्हें सुनते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते। बड़े बुजुर्गों का तो किस्से कहने का अंदाज भी ऐसा होता कि मानों उन्होंने स्वयं ही भूतों से साक्षात्कार किए हों। एक बच्चे के रूप में हम इन किस्सों से अक्सर भयभीत हो जाते थे। रातों में उठने की हिम्मत न होती थी। उस दौर में इन किस्सों पर तर्क-वितर्क करने की ज्ञान और क्षमता भी न थी। पर आज जब उन पर विचार करता हूँ तो समझ नहीं आता इसे क्या कहूँ।

आखिर ये भूत-प्रेत हैं क्या ? क्या इनका अस्तित्व है या यूँ ही

मन के भ्रम हैं। मैं इन प्रश्नों में यहां उलझना नहीं चाहता। लोक प्रचलित कथाओं में भूत-प्रेत को ज्यादातर ऐसे परलौकिक आत्माओं के प्रसंग में उल्लेख किया जाता है कि जो किसी मृतक की असंतुष्ट आत्मा से सृजित होती हैं। लोगों की ऐसी धारणा होती है जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वे भूत बनकर इसी दुनिया में भटकते रहते हैं। इस प्रकार के मामलों में अधिकतर भूतों के निवास जीर्ण इमारतें, शाही मकान, किले, बंगले, घाट, नदियां, कब्रगाह, वृहदाकार वृक्ष आदि होते हैं। हमारी

वॉलीवुड की फिल्मों में तो भूतों और चुड़ैलों पर फिल्मों की भरमार है। हमारे देश में वैसे लोगों की कमी नहीं है जो इस प्रकार के परलौकिक शक्तियों पर यकीन रखते हैं और इन यकीनों को हवा देने में हमारी फिल्में और टीवी धारावाहिक भी कहीं से भी पीछे नहीं हैं।

ऐसी भ्रांति या विश्वास है कि भूत केवल कुछ लोगों को ही

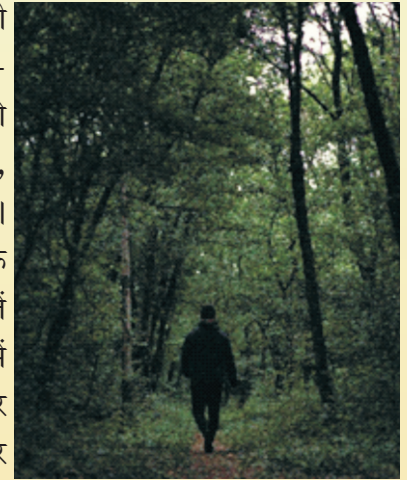
दिखाई देती है। हमारे गांव में ऐसा विश्वास आज भी कायम है कि जिनकी परछाई पतली होती है, उनपर भूत और आत्माओं का प्रभाव जल्दी हो जाता है, वहीं मोटी परछाई वाले लोगों पर आत्माओं का प्रभाव कम होता है। भूत-आत्माओं की आकृति के संबंध में भी अलग-अलग धारणाएं प्रचलित हैं। ये किसी भी व्यक्ति के रूप में, जानवर, पक्षी या किसी मूर्त अमूर्त, धुआँ, आग जैसे किसी भी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। भूत अक्सर अकेले ही होते हैं और वे किसी विशेष स्थान या लोगों को ही परेशान करते हैं। वैसे तो भूतों से जुड़े कई किस्से, कहानियां प्रचलित हैं पर मैं यहां अपने बचपन के दिनों में गांव में रहते हुए कुछ सुने हुए वाक्यों का जिक्र करना चाहता हूँ जो मुझे चकित

तो नहीं पर थोड़े से हैरान जरूर करते हैं।

उस समय मेरे पिता भारतीय सेना में तैनात थे। चूँकि हमारा परिवार गांव में ही रहता था तो छुट्टियों के दौरान वे गांव आया करते थे। उनके साथ भूतों के वाक्य हमेशा हुआ करते थे। उनके कहे अनुसार जब उनके अंदर भूत या आत्मा का प्रवेश होता था तो वे उन्हें मानव रूप में दिखाई देते थे। मानव रूप में दिखाई देनेवाले भूत उन्हें बांह से पकड़कर खींचते हुए आस-पास के दूर जगहों पर ले जाते थे। इस दौरान उन्हें याद रहता था कि वे उन्हें किन-किन जगहों से होकर गुजर रहे हैं। वे बताया करते थे कि किस प्रकार रास्ते में आनेवाली झाड़ियों और खेतों में लगे फसलों की बालियों के बीच रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते थे। न तो खेतों की मिट्टी, कीचड़, पानी आदि से उनके पैर गंदे होते और न ही उन्हें झाड़ियों के कांटों के चुभन का अहसास होता। चलते हुए जब वे उनके साथ और आगे जाने को मना कर देते तो वे (भूत/आत्माएं) उन्हें वापस लाकर किसी जगह पर धकेल देते जिससे कभी-कभी उन्हें हल्की चोटें लग जाती थी और तब उन्हें इसका आभास होता कि वे अबतक भूतों के साथ थे। इस प्रकार की घटनाओं में कई बार वे काफी देर बाद ही वापस लौटते थे, कभी सुबह भी हो जाती थी और हमारे काफी ढूँढने के बाद भी उनका पता नहीं चल पाता था। उनके साथ ऐसी घटनाएं अक्सर होती थी, कभी शाम को, कभी रात में और कभी दिन में भी होते थे। कई बार हम भी इन घटनाओं के साक्षी रहे हैं।

यह 70 के आसपास का वह दौर था जब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए साधन सवारी की सुविधा नहीं हुआ करती थी। सड़कें इक्के-दुक्के ही हुआ थे जिनकी स्थिति भी अत्यंत जर्जर होती। मीलों तक गांव या कस्बे पगड़ंडियों या पैदल रास्तों के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े थे। कई बार सगे - संबंधियों और रिश्तेदारों के घर मेहमान जाते हुए हमें मीलों पैदल चलने पड़ते थे। ऐसे ही कई बार साथ में पैदल चलते हुए हम उनके व्यवहार के साक्षी रहे हैं। हमने देखा है कि अचानक चलते-चलते वे किसी दूसरे व्यक्ति से बातें करने लगते थे और हम अचरज से दांये-बांये देखते पर हमें कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आते। हम

केवल उनके हाव-भाव ही देख पाते थे। कभी वे साथ-साथ चल रहे प्रेतात्मा को खाने-पीने की सामान देते, तो कभी खैनी गुटका देते। इस प्रकार काफी दूर तक उससे सामान्य रूप से बातें करते चलते रहते और हमें उनके साथ चलते हुए डर सा महसूस होता। काफी देर बाद जब भूत उसका साथ



छोड़ देता तो उन्हें हमारे साथ होने का आभास होता।

इसी तरह के और भी कई किस्से गांव में प्रचलित थे। मैं उस जमाने की बातें कर रहा हूँ जब शहरों की आबोहवा गांवों की सादगीयत को दूषित नहीं कर पायी थी। चोरी या जान माल को नुकासान जैसे भय जनित महौल तब नहीं हुआ करते थे अर्थात एक भयमुक्त माहौल हुआ करता था। गांव में बिजली तो थी नहीं तो गर्मियों के मौसम में रात के समय गांव के युवक बाहर कहीं भी खुली जगहों या चट्टानों पर सो जाते थे। उन्हीं में से एक युवक के साथ भी इस प्रकार के वाक्य हुआ करते थे। वे एक पढ़े लिखे और अच्छे पद पर सुशोभित व्यक्ति हैं। हाल ही में वे झारखंड सरकार के जिला लेखा परीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज भी जब उनसे उन दिनों की बातें करते हैं तो वे सहजतापूर्वक उन घटनाओं की पुष्टि करते हैं। वे मानते हैं कि बचपन में उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थीं। उनके बताए किस्सों के अनुसार जब वे रात में युवकों की टोली के संग उनके बीच सोये होते, तो भूत या आत्माएं उन्हें बीच में से उठाकर खींचते हुए आस-पास के इलाकों तक दूर ले जाते थे। वे कभी स्त्री रूप में या कभी पुरुष रूप में प्रकट होते थे और सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते थे और दूसरों को नजर न आते थे। उनके साथ भी अमूमन उसी तरह की घटनाएं होती थीं जो मेरे पिताजी के साथ घटती थीं। वे अब भी उतने ही विश्वास के साथ इसकी पुष्टि करते हैं। उनके कथनानुसार कई बार वे भूतों के वश

में रहते हुए जंगलों से लकड़ियों के लट्टे भी ढोकर ले आए थे। भूतों के साथ जाने के क्रम में खेत खलिहानों से गुजरते समय उन्हें भी किसी प्रकार की चोट या हानि न होती थी। उनकी बातें सुनकर मुझे अचरज तो होती है पर मन भ्रमित नहीं होना चाहता।

मुझे उन दिनों की बातें याद है जब किसी के घर में कोई बीमार या अस्वस्थ होता तो गांव के वैद्य को बुलाया जाता था। क्योंकि उस समय एलोपैथिक जैसी अंग्रेजी दवाइयां गांवों तक नहीं पहुँच पायी थी। वैद्य झाड़ू फूँक और कुछ जड़ी बूटियों की सहायता से रोगी का इलाज करते। चाहे किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी स्तर का बुखार हो, इन झाड़ू फूँक और जड़ी बूटियों से लोग आश्चर्यजनक रूप से स्वास्थ्य हो जाते। उस समय प्रायः हर गांव में इस प्रकार के वैद्य होते थे। इनमें भी एक श्रेणी होती। कुछ बीमारियां जब ग्रामीण स्तर के वैद्य से ठीक न हो पाती तो किसी दूसरे गांव के बड़े अनुभवी और सिद्धहस्त वैद्य को बुलाया जाता। कई बार उसके इलाज से लोग ठीक भी हो जाते। तो इसी प्रकार की इलाज व्यवस्था थी उस जमाने में। उस समय डायन विसाही जैसी आवधारणाएं भी खूब प्रचलित थीं। जादू-टोने, टोटके आदि पर लोगों की आस्था थी। भूत प्रेत बाधा आदि को भी मंत्र विद्या द्वारा दूर करने की महारत होती थी वैद्यों में। आज जब सोचता हूँ तो लगता है कि शायद कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव का चमत्कार हो या जड़ी बूटियों का कमाल।

गांव में रहते हुए सुनी-सुनाई भूतों की कहानी से मैं भी कहीं अंदर तक सहमा हुआ जरूर होता था। रातों में अकेले घर से निकलना दूभर होता था। विशेषकर जब गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो कुछ समय तक उसकी आत्मा का भय हमें भयभीत करता रहता। ऐसी आत्माओं के बारे में लोग अजीब-अजीब प्रकार की बातें करते। जैसे मरने के बाद मृत व्यक्ति का अपने विस्तर पर आकर सो जाना, घर का छत खड़कना, खाने के बर्तन बजना, रूह का सामने आकर खड़ा हो जाना आदि। उनके बताने का अंदाज भी ऐसा होता कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते।

ऐसा ही मुझे बचपन का एक किस्सा याद आता है जब रात के समय मुझे अपने गांव लौटना पड़ा था। तब मैं सातवीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। मेरे पिता तब फौज से सेवानिवृत्ति के बाद सीसीएल के बोकारो क्षेत्र स्थित कोलियरी में तैनात थे। शिक्षा-दीक्षा के क्रम में मैं भी वहीं रहा करता था। हमारा आधा परिवार गांव में ही रहता था तो हम अक्सर स्कूल की छुट्टियों में गांव आ जाया करते थे। कभी-कभी पिताजी की छुट्टी नहीं होने पर हमें अकेले भी गांव आना पड़ता था। उस बार भी ऐसा ही हुआ। मैं अकेले ही गांव के लिए निकल पड़ा। पहले ट्रेन से रांची रोड, रामगढ़ स्टेशन पहुँचा। वहां से ट्रेकर पकड़कर रांची बस स्टैंड। परंतु थोड़ी विलंब हो जाने के कारण मेरे गांव तक जानेवाली बस छूट चुकी थी। तो मैं जिला मुख्यालय (सिमडेगा) तक जानेवाली बस में बैठ गया। सिमडेगा से शाम के वक्त एक बस जाती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं उसे पकड़ सकूंगा। गंतव्य तक पहुँचते शाम हो गई। किसी तरह भागते दौड़ते ही अंतिम बस को पकड़ पाया। एक बार तो मन किया कि सिमडेगा में ही अपने परिचित के यहां रुक जाऊँ। पर बस मिल जाने पर घर जाने की ही ठान ली। करीब 50 किलोमीटर का रास्ता था। पर सड़क की स्थिति अच्छी न होने के कारण दो-आध घंटे से करीब ऊपर ही लग जाते थे। आखिरी बस होने के कारण और भी देर होने की पूरी-पूरी आशंका थी। खैर, बस में सवार तो हो गया था, पर देर रात में अकेले ही गांव जाने के ख्याल मात्र से भीतर ही भीतर सशंकित और भयभीत भी हो रहा था। गांव में सुनी भूतों के किस्से जेहन में मंडरा रहे थे। मैं निडर होने का भरसक प्रयास कर रहा था। जिस स्थान पर हम बस से उतरते थे, वहां से हमारा गांव लगभग 5 किलोमीटर दूर था। रास्ता सूनसान और वीरान हुआ करता था। बीच में कोई गांव या घर नहीं पड़ते थे। गांव पहुँचने से बस थोड़ी दूर पहले नदी के इस पार एक घर था जो मेरा संबल बना हुआ था। सोचा था उस घर के किसी व्यक्ति को घर तक छोड़ने का अनुरोध करूंगा। खैर, जब बस से उतरा, रात लगभग 10 बज चुके थे। मैं अपने गांव की ओर जानेवाली पगडंडी पर चल पड़ा। अंधेरा था, पर आधी चांद की धूमिल रोशनी मेरी राह आसान कर रही थी। भयभीत

मन से मैं तेज कदमों के साथ गांव की ओर बढ़ने लगा। चलते हुए बीच-बीच में अपने आगे-पीछे, दांये-बांये भी नजरें फेर लेता कि कहीं कुछ आकृति न दीख जाए। थोड़ी देर बाद मैं अपने गांव के सीमान पर स्थित उस घर के पास पहुँच गया। थोड़ी हिम्मत बंधी। मैंने घर के ही एक व्यक्ति का नाम पुकारते हुए आवाज दी। पर भीतर से कोई जबाब न आया और न ही किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। मैंने दो-एक बार फिर प्रयास किया पर वही ढाक के तीन पात। मुझे लगा सभी सो चुके हैं। गांव के लिए इतनी रात काफी होती थी। मैं थोड़ा निराश हुआ। जो साहस बटोरी थी, वह जाती रही। यहां से आगे एक नदी थी, उसके दूसरे छोर पर हमारा गांव था। गांव में सुनी हुई भूतों के अधिकांश किस्सों में उसी नदी का जिक्र था, तो मेरा भय दुगुणा होना स्वाभाविक था। नदी बहुत बड़ी न थी, पर उसके किनारों पर लगे विशाल पेड़ों के झुरमुट काफी डरावने थे। गांव को जानेवाली पगड़ंडी भी उसी झुरमुट से होकर गुजरती थी। जैसे-जैसे मेरे कदम नदी की ओर बढ़ते जाते मैं और अधिक भय से घिरता जाता। मैंने यह भी सुन रखा था कि गर्भावस्था में मृत्यु को प्राप्त होनेवाली स्त्रियों को उसी पेड़ों की झुरमुट के नीचे दफनाया जाता था जो चुड़ैल बन जाती थीं। कई लोगों ने वहां रात में बच्चे की रोने की आवाजें भी सुनने का दावा किया था। उन किस्सों को याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आधी-अधूरी रात में पेड़ों के झुरमुट दानव से लग रहे थे। पांव मानों सौ-सौ मन भारी हो गए। लगता था शरीर फूलकर 100 किलो वजनी हो गया हो। गले की घिघी बंध गई। भयातिरेक में जोर-जोर से उटपटांग आवाजें निकालते हुए, झुरमुट के नीचे से गुजरने लगा। पेड़ों के पत्ते एकदम शांत थे। पतझड़ का मौसम था। अचानक 'सर्र..सर्र..रटपट... रटपट..' की आवाज के साथ पत्ते खड़कने की आवाज हुई। शायद किसी गिरिगिट या किसी सरीसृप प्राणी रेंग गया हो। मेरा धैर्य जबाब दे गया। पैर जैसे हवा हो गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न हुई। लगा कोई मेरे पीछे एकदम से पहुँच गया हो। मैं लगभग दौड़ ही पड़ा और गांव में प्रवेश करने के बाद ही मेरे पैर थमे। गांव के अहाते में घुसते ही मेरे पैर किसी कीचड़ में पड़े और मेरे जूते और कपड़े



गंदे हो गए। बदहवास सा घर पहुँचा, आवाज देकर घर के लोगों को जगाया। मेरी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ। परंतु मैंने किसी को अपने डर का भेद नहीं बताया कि कहीं इज्जत का फलूदा न हो। बचाखुचा खाना खाने के बाद अभी लेटे ही थे कि नदी के उस पार स्थित उसी घर का एक व्यक्ति हमारे घर आ पहुँचा और उसने जो खबर सुनाई तो मेरी घिघी बंध गई। थोड़ी देर पहले नदी के पार जिस घर के सामने मैं खड़ा होकर जिस व्यक्ति का नाम पुकार कर आवाज दे रहा था। वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं था। शायद यही वो वक्त था जब वह अपनी अंतिम सांसे ले रहा हो या संभवतः उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या मैं अभी-अभी मृत्यु को प्राप्त हुए उस शख्स का नाम पुकारे जा रहा था। इस ख्याल मात्र से मेरे रूह कांप गए।

आज जब उन दिनों का स्मरण करता हूँ तो लगता है कि भूतों के क्या ही वे दिन थे। इस प्रकार के और भी कई किस्से गांव में प्रचलित थे। जितने लोग उतनी बातें। पर उनमें कितनी सत्यता होती और कितना भ्रम, यह चर्चा का विषय हो सकता है। भूतों का विषय एक रहस्यमय और अनिश्चित विषय है। कुछ उन्हें वास्तविक मानते हैं जबकि कुछ उन्हें केवल भय से सृजित कल्पना। कुछ अपने अनुभवों के आधार पर दावा करते हैं कि भूत अस्तित्व में होते हैं। हालांकि, वैज्ञानिक विश्लेषण इस बात को कोरा कपोल कल्पित ही मानता है।

राजेश एक्का

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

स्व-चिकित्सा

स्व-चिकित्सा से तात्पर्य किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श किए बिना दवा लेने की प्रथा से है। हालाँकि पहले हमें ये सुविधाजनक और किफायती लग सकती है, लेकिन स्व-चिकित्सा किसी के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकती है। उचित निदान और मार्गदर्शन के बिना, व्यक्ति गलत दवाई का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा, स्व-चिकित्सा से उपचार में देरी, एंटीबायोटिक प्रतिरोध और यहाँ तक कि लत भी लग सकती है। उदाहरण के तौर पर आज हर व्यक्ति थोड़े से सर्दी खांसी, बुखार एवं पेट खराब होने की स्थिति में Paracetamol 650, Levocetirizine, zithromycin 500, moxycillin and Clavulanic acid 625, Metrogyl 400 आदि दवाइयों का बिना सोचे समझे प्रयोग कर लेते हैं। असिडिटी के लिए ठरपीरल 150, Omeprazole (20mg) आदि एवं सिर दर्द की स्थिति में Saridon एवं Disprin का उपयोग भी ऐसे ही बिना सोचे समझे उपयोग की जाने वाली दवा की श्रेणी में ही आती है। स्व-चिकित्सा एक व्यापक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अक्सर अपने स्वयं के निर्णय, मित्रों या परिवार से सलाह या इंटरनेट से एकत्रित जानकारी पर भरोसा करते हैं।

कोई भी दवा लेने से पहले किसी डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे व्यक्तिगत सलाह देकर, आपके असुविधाओं को समझते हुए, संभावित दुष्प्रभावों को जानकारी सुरक्षित और प्रभावी दवाई का सुझाव देंगे। इससे दूर व्यक्ति की ये सोच रहती है कि डॉक्टर को पैसा देने से बेहतर है खुद ही डॉक्टर बनकर दवाई की दुकान से दवा खरीद लें। इससे बचत भी हुई और ज्यादा झिंक झिंक भी नहीं हुई। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर दुनिया भर का टेस्ट लिख देगा, महंगी महंगी दवाई लिखेगा (जो देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी है)। इससे बेहतर है दवाई दुकान पर

जाए अपनी असुविधा बताएं और डॉक्टर की फीस बचाते हुए सस्ती दवाई से अपनी छोटी मोटी बीमारी से निजात पाए।

हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने इस पर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की है। यहीं से यह जानकारी सामने आई है कि हर 100 में से 28 वरिष्ठ नागरिक डॉक्टर से परामर्श किए बिना गलत दवा लेने के कारण बीमार हो रहे हैं। इससे मौतें भी हो रही हैं। यह सर्वेक्षण देश के 6 प्रमुख शहरों में किया जा रहा है, जिनमें से एक कोलकाता भी है। इसके अलावा, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और उज्जैन में प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरू हो गए हैं।



बुजुर्ग लोग यह जानते हुए भी कि स्वयं दवा लेने में पर्याप्त जोखिम है, ऐसा करना जारी रखते हैं। एक और बहुत ही अवैज्ञानिक तरीका यह है कि दवा का नाम इंटरनेट पर देखें और उसे ले लें। बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि यदि उन्हें दवा का नाम पता हो तो उसे स्वयं लेना अधिक आसान है।

बेकार का समय और पैसा बर्बाद करते हुए अस्पताल और डॉक्टर के पास जाने से यह तरीका ही बेहतर है। केवल सर्दी-जुकाम और बुखार के लिए नहीं बल्कि थायरॉयड, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए भी स्वयं दवा खरीदकर ले रहे हैं और अपनी इच्छानुसार दवा की खुराक भी बढ़ा और घटा ले रहे हैं।

कई लोग डॉक्टरों द्वारा दी गई पुरानी दवाओं की पर्ची दिखाकर भी दवाइयां खरीद लेते हैं। जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, वे डॉक्टर द्वारा बताई गई एक ही दवा को बार-बार खरीदते हैं और अपनी इच्छानुसार खुराक लेते हैं। डॉक्टर जब किसी मरीज को किसी बीमारी के लिए दवा लिखते हैं एवं साथ में कुछ टेस्ट करवाकर पुनः उनसे मिलने को कहते हैं तो मरीज दवा खरीद कर यदि उस समय के लिए उस बीमारी से निजात पा जाता है तो, फिर वह टेस्ट

करवाकर दुबारा डॉक्टर से मिलता नहीं है। अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं होता कि डॉक्टर ने वह दवा कुछ लक्षणों के आधार पर दिया है, असली दवाई वह टेस्ट रिपोर्ट को देखने के बाद ही देंगे। सही समय से बीमारी का उपचार नहीं होने के कारण से बीमारी फिर वापस आ जाती है एवं बीमार व्यक्ति अपने आप को बहुत चालाक समझते हुए डॉक्टर के द्वारा लिखी गई वही दवा को पुनः दवा के दुकान से खरीद कर खा लेता है और इस तरह शरीर उस विशिष्ट दवा के प्रति 'प्रतिरोध' विकसित कर लेता है। परिणामस्वरूप, दवा शरीर में काम करना बंद कर देती है और इससे विभिन्न दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। गलती केवल दवा खरीदने वालों की ही नहीं, बल्कि विक्रेताओं की भी है। अधिकांश स्थानों पर दवाएं बिना किसी वैध पर्चे के भी बेची जाती हैं।

कोरोना के समय से एक नई तरीका का इजाजत हुआ है लोग यू ट्यूब देखकर भी दवाई का सेवन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को Gall bladder में पथरी की समस्या है तो वह डॉक्टर के दवा को बंद करके यू ट्यूब से Homeopathy या-Ilopathy डॉक्टर को दूढ़ कर या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के वीडियो को देखकर दवाई का नाम सुनकर, उसे किसी स्थानीय दवा दुकान से दूढ़कर खरीद कर लाकर उसका सेवन करते हैं। आजकल बिना डिग्री धारी ऐसे यू ट्यूब डॉक्टरों का बोल बाला है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोरोना के समय आर्सेनिक एलबम को लोग सुनकर खरीद कर पी रहे थे। इसका क्या काम है इसका उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है। उससे किसी को कोई मतलब नहीं है बस किसी ने कहा या यू ट्यूब में देखा तो बस इस्तेमाल कर लिया। आजकल के डॉक्टर को भी ये बात पता रहती है कि बीमार व्यक्ति पहले यू ट्यूब वाले डॉक्टरों को देखकर दवा लेता है फिर जब रोग ठीक होने के बजाय बढ़ जाता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं।

इस प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी के परिणामस्वरूप अधिक गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसके लिए अधिक व्यापक और महंगे उपचार की आवश्यकता

होती है। इसके अलावा, स्व-चिकित्सा के कारण अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा उपयोग भी हो सकता है, जैसे कि आपातकालीन विभाग का दौरा या अस्पताल में भर्ती होना। मैंने एक केशेरिंहू डॉक्टर से पूछा था कि केशेरिंहू दवा तो लोग अभी यू ट्यूब से देखकर या किसी हरपवू किताब से पढ़कर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप लोगों का क्या काम? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि हमलोग मरीज के मर्ज को समझकर उसके पूर्व हिस्ट्री को जानकार सही दवा और सही Potency में इसे देते हैं। जैसे मान लीजिए उसे किसी विशेष दवा को कितने Potency में लेना है उसका निर्धारण सिर्फ एक Homeopathy डॉक्टर ही कर सकता है और एक दूसरी बात Homeopathy की एक दवा विभिन्न बीमारी में काम देती है। इसकी जानकारी एक साधारण मरीज को नहीं होती है। जैसे Arnica Montana सिर्फ चोट लगने पर ही काम में नहीं आती है। शरीर में रक्त प्रवाह को नियंत्रण करने के दवा के रूप में भी Arnica का उपयोग किया जा सकता है।

वर्तमान समय में एक और पंथ का लोग अनुसरण करते हैं, डॉक्टर बदलने का, जैसे एक डॉक्टर के पास गए उस डॉक्टर ने कुछ दवा दिया। उस दवा को खरीद कर उसका कोर्स पूरा न करके ही फिर दूसरे किसी डॉक्टर को दिखा लेना। कभी-कभी इस प्रकार की चलाकी से लाभ होता है तो कभी इसका नुकसान भी हो जाता है।

निष्कर्ष के तौर पर, स्व-चिकित्सा एक जटिल मुद्दा है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि यह सुविधाजनक और किफायती लग सकता है, लेकिन स्व-चिकित्सा गंभीर परिणाम दे सकती है, गलत सूचना को बढ़ावा दे सकती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर बना सकती है। इससे बचत के विपरीत खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए किसी भी दवा को लेने से पहले पेशेवर चिकित्सक मार्गदर्शन को प्राथमिकता देना और योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना बहुत ही आवश्यक है। एक योग्य डॉक्टर ही मरीज और उसके मर्ज को जानता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना ही बुद्धिमानी है।

शांतवनु नाथ

कनिष्ठ अनुवादक

शून्य ही चेतना है

इस संसार की सबसे शुद्ध चीज और कुछ है तो वह राख है। राख यानी शून्य और शून्य ही मूल चेतना है। इस संसार की चेतना का मूल अर्थ होता है बोधगम्य या बुद्धि शक्ति। यह धरणा हमारे मन की वह शक्ति है जिससे हमें आंतरिक अनुभूति होती है, विचार भाव आते हैं और हमें घटनाओं का आभास होता है। जीवात्मा में स्वयं और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध करने और उसका मूल्यांकन करने की शक्ति ही चेतना है। मैं इन किताबी लेखनों से पूरी तरह से मुंह मोड़ नहीं सकता लेकिन समय के साथ-साथ हमें यह समझ आने लगा है कि यह वह चेतना नहीं है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। असली चेतना कुछ और है। जिसे हम चेतना कह रहे हैं वह केवल इंद्रिय है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। असली चेतना तो शून्य है, चेतना तब शून्य होगी जब हम इस मोह माया का त्याग करेंगे, दूसरों पर प्रश्न उठाना बंद करेंगे, बातों से सुलझा पाने वाली बातों पर हाथापाई बंद करेंगे। सब कुछ जीत लेने वाली सोच से मुक्त होना पड़ेगा। खुद को हमेशा बड़ा दिखाने की सोच से बाहर निकलना होगा। यदि शून्य ही चेतना है तो यह मोह माया क्यों? क्रोध क्यों? ईर्ष्या क्यों? चेतना तब ही शून्य होगी जब हमें इन सारे भावनाओं से छुटकारा मिल जाएगी। हम इंसान अपने आप को बड़े चेतनशील मानते हैं। मगर क्या हम लोगों ने अपने आप से यह सवाल पूछा होगा कि क्या हम सही में चेतनशील हैं? क्या हमारे अंदर सच में चेतना की धार बह रही है? हम कभी अगर किसी कुत्ते को एक बिस्किट खिलाते हैं तो हम अपने आप को दानी समझने लगते हैं, पर इस सोच से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं तो इसलिए यह असली चेतना नहीं है। अगर हम किसी को अपना कोई कीमती सामान दे देते हैं तो हमें साथ ही ऐसी अनुभूति होती है कि इस संसार में हमसे अधिक दयावान और कोई नहीं। किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाने पर हमें यह महसूस होता है कि हमसे ज्यादा कामयाब और कोई नहीं है। क्या यही शून्यता है? अगर यही शून्यता चेतना है तो क्यों हम इस मलिन चेतना की तरफ आगे बहना चाहते हैं? कतई नहीं!

भारत का इतिहास गवाह है कि महान सम्राटों ने सारी सुख समृद्धि होने के बावजूद भी शून्य चेतना का रास्ता चुना था। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें कुछ नहीं होता। महान गौतम बुद्ध ने महज 13 वर्ष की उम्र में सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया और वे जीवन में ज्ञान का असली अर्थ पता करने के लिए चल पड़े। महान सम्राट अशोक को भी लाखों युद्ध जीतने के बाद यह आभास हुआ कि यह जीवन का असली अर्थ नहीं है और वे चले गए अध्यात्म के मार्ग पर क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि वही शून्यता ही चेतना है।

शून्य का मतलब यह नहीं कि आप कंठी माला लेकर बैठ जाएं, परंतु इसका सही उद्देश्य है अपने विचारों को सही दिशा में लेकर जाना। अपने आप से प्रश्न पूछना कि जो मैं कर रहा हूं, क्या वह सही है? हमें दुनिया की बातों में नहीं उलझना। हमें खुद निर्णय लेकर उस शांति के मार्ग पर चलना है और जब इस जगत से कुछ लेकर ही नहीं जाना तो यह अभिमान क्यों? लाख हमें लोग गलत कहें, नादान कहें, पर अडिग रहना और शांति के रास्ते को अपनाना हमारा धर्म है। शून्यता का मतलब यह थोड़ी ही है कि जीवन से मुह मोड़ लें और एक कोने में जाकर बैठ जाना। बनेंगे तो हम अंत में राख ही तो इतना क्यों इतराना?

शून्यता का अर्थ है अपने विचारों पर काबू पाना और स्वच्छ भावना लेकर चलना। लोग बहुत कुछ बोलेंगे पर आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। उदाहरण के तौर पर 144 सालों बाद महाकुंभ का मेला प्रयागराज में हुआ। उसमें लाखों की तादाद में लोग आए। इस भीड़ में एक आईआईटी से बीटेक किए हुए सज्जन भी मिले। उन्हें वहां देखकर रिपोर्टर भी दंग रह गए। पूरी सोशल मीडिया पर उनकी ही चर्चा हो रही थी। उन्हें जब पूछा गया कि इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह वहां कैसे पहुंचे तो उन्होंने जवाब में यह कहा कि वे जीवन को समझने आए हैं। जीवन का असली अर्थ समझना है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान के पीछे भागते जाओ, भागते जाओ। कहां जाओगे, यहीं तो आना है। यही शून्यता है। जीवन को

ढूँढना और अनुसंधान करना, यही असली चेतना है। जीवन को पूर्ण रूप से समझना ही असली चेतना है।

‘जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं
वो प्रेम निभाना क्या जाने’

तो हमें उस रास्ते पर आना होगा, तभी हमें असली अर्थ समझ में आएगा। क्रोध, ईर्ष्या एवं क्रूरता का रास्ता त्यागना होगा।

राजाराम महतो
आशुलिपि-1, चिकित्सा विभाग

ईमानदार बनो

हमारे बड़े प्रायः हमें यह शिक्षा देते हैं कि सदा ईमानदार रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तथा कमजोर व गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसको बढ़ावा देने लिए स्कूल में नैतिक शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, राजा-महाराजाओं की कहानियां, महापुरुषों की जीवनी आदि पढ़ाई जाती है। वस्तुतः ये कुछ नैतिक मान्यताएं हैं, जिन्हें हम अपने जीवन के लिए बड़ा महत्व पूर्ण मानते आए हैं तथा जिनके अधिकाधिक प्रचलन के लिए हम प्रयत्नाशील रहे हैं। हमारे द्वारा ऐसा किया जाने का कारण मूलतः यही रहा है कि हम इन नैतिक मान्यताओं को अपने जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं और यह मानते हैं कि इनके बिना मानव जीवन विकृत, कष्टमय हो जाता है, परन्तु इसके विपरीत संसार में जब हम देखते हैं कि असत्य, धोखाधड़ी तथा बेईमानी का जीवन जीने वाले दुःखी नहीं, उल्टे सुखी हैं, तो इस बात पर प्रश्नचिह्न लग जाता है कि सत्य, कर्तव्यपालन तथा ईमानदारी आदि नैतिक मान्यताओं को हमें अपने-अपने जीवनयापन का आधार बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अनुभव की बात यह है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दिखावे के लिए तो सत्य, सच्चरित्रता व ईमानदारी को अच्छा बताता है और यह कहता है कि ये हमारे जीवन के आधार होने चाहिए। वास्तविक जीवन में असंख्य लोग इन आदर्शों को तिलांजलि देते दिखाई देते हैं, जब वे यह देखते हैं कि इन पर चलने से जीवन की वास्तविक समस्याएं हल नहीं होतीं तथा इनकी परवाह न करने वाले लोग दुनिया में अधिक सुखमय जीवन बिताते हैं। ईमानदारी की राह पर चलने वालों का जीवन कष्ट एवं दुख से भरा हुआ रहता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

सच्चाई और ईमानदारी को अधिकांश लोग क्यों नहीं अपनाते, इस प्रसंग में बेईमानी व ईमानदारी से संबंधित एक कहानी बड़ी प्रासंगिक है। कहा जाता है कि एक बार ईमानदारी व बेईमानी किसी नदी में स्नान करने गईं। स्नान के लिए अपने-अपने कपड़े उतार कर उन दोनों ने देर तक डुबकी लगाए रहने की होड़ के साथ नदी में डुबकी लगाई। बेईमानी अपनी प्रवृत्ति के कारण जल्दी पानी से बाहर निकल आई और ईमानदारी के कपड़े पहनकर वहां से चली गई। ईमानदारी जब बाद में पानी से बाहर आई और नदी के किनारे अपने कपड़ों को नहीं पाया, तो वह असमंजस में पड़ गई, क्योंकि बेईमानी के कपड़े पहनकर वह अपने को बेईमान नहीं बनना चाहती थी। ऐसी स्थिति में उसने निर्वस्त्र रहना ही अच्छा समझा, कहा जाता है कि तब से ईमानदारी नंगी ही है और उसके कपड़ों को बेईमानी ने पहन रखा है। परिणामस्वरूप लोग, जो नंगेपन से बचना चाहते हैं, ईमानदारी के वस्त्र पहनने वाली बेईमानी को अपना लेते हैं और जब तक उन्हें बेईमानी की वास्तविकता की पहचान हो पाती है, वे उसी के अभ्यस्त होकर रह जाते हैं, क्योंकि उसके सहारे लोगों की अनेक समस्याएं सरलता से हल हो जाती है।

ईमानदारी से कर्तव्य पालन करने के लिए अनेक विज्ञापन दिए जाते हैं। यही कारण है कि ईमानदारी दुनिया में अकेली पड़ गई है और उसके अपनाने वाले बहुत कम लोग हैं, जबकि बेईमानी को अपनाने वाले और उसके साथ रहने वाले लोग असंख्य हैं और वे उसे बुरा नहीं वरन् अच्छा समझते हैं।

मानसिंह मेलगन्डी
निजी सहायक-11

अमृतसर

पिछले माह हमलोग एक छोटी सी यात्रा पर पंजाब राज्य के दूसरे बड़े शहर अमृतसर गये। यह जनसंख्या के हिसाब से पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। यह शहर सिखों के पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। सुबह-सुबह तैयार होकर हम लोग स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए गाड़ी से रवाना हुए। मंदिर के नजदीक चौक के पास पहुँच कर हमलोगों ने गाड़ी छोड़ दी। यहां से मंदिर की दूरी करीब दस मिनट की है। मंदिर के प्रांगण में ही जूते, चप्पल, बैग आदि रखने की जगह है। सभी सामान जमा देकर हम लोग हरमंदिर साहब के गेट से अंदर दाखिल हुए। यहाँ मंदिर के अन्दर जाने से पहले सभी को अपने सर ढंकने पड़ते हैं। अंदर का दृश्य देखकर हम भाव विभोर हो गये।

एक बड़े से सरोवर के बीचों-बीच स्वर्ण मंदिर स्थित है, जो सुनहरे रंग का होने के कारण बहुत ही मनमोहक लग

रहा था। मंदिर के चारों ओर सरोवर का साफ पानी बड़ा ही दर्शनीय लग रहा था। हम लोग चारों ओर परिक्रमा करते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुए। ऐसा करने में हमें करीब 45 मिनट का समय लगा। मंदिर के अंदर गुरुग्रंथ साहिब रखा हुआ था। अंदर का वातावरण काफी शान्त और सुखमय लग रहा था। लोग गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम करके अपनी प्रार्थना पूरी कर रहे थे।

वहां से निकलकर हम लोग मंदिर के प्रसाद के लिए पहुंचे। प्रसाद के रूप में घी के बने हलवे दिए जा रहे थे। यह प्रसाद पाने के लिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी दक्षिणा दे सकते हैं। प्रसाद काफी स्वादिष्ट था। कुछ देर तक घुमने और फोटोग्राफी करने के बाद हमलोग मंदिर के लंगर स्थान पर

पहुँचे। यह स्थान काफी बड़ा है। कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लंगरखाना या रसोईघर है। हर दिन यहां लाखों लोग भोजन करते हैं। हमलोगों ने भी वहां भोजन का आनन्द लिया और चहल कदमी करते हुए मंदिर की एक परिक्रमा करके प्रांगण से निकल आये।

स्वर्ण मंदिर के पास ही प्रसिद्ध जालियाँवाला बाग है जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास की ज्वलन्त साक्षी है। यही वह जगह है जहाँ कर्नल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक बड़े जनसमूह का नरसंहार किया था। इस नरसंहार में करीब 379 लोगों की मृत्यु हुई और करीब 1200 लोग



घायल हुए थे। उसके सैनिकों द्वारा चलाये हुए गोली के दाग आज भी देखे जा सकते हैं। उन मासूम लोगों की याद में एक संग्रहालय और स्मारक बनाया गया है। उस समय अपने प्राणों को बचाने के लिए अनेक लोग बाग में स्थित कुएं में कूद गये।

वह कुंआ आज भी देखा जा सकता है। बाग में एक विडियो हॉल भी है जो हर समय तरह- तरह के देश भक्ति पूर्ण विडियो दिखाते रहते हैं। हम लोगों ने सरदार ऊधम सिंह के उपर बनी एक विडियो फिल्म भी देखी।

चौक के पास जहां राजा रणजीत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, यहां का प्रमुख म्यूजियम पार्टेशन म्यूजियम स्थित है। यह म्यूजियम पंजाब के विभाजन और देश के विभाजन की त्रासदी को समर्पित है। इसके अंदर भी एक विडियो हॉल है जहां विभाजन की घटनाओं को फिल्मों के द्वारा दर्शाया जाता है।

दूसरे दिन हमलोग अमृतसर का प्रसिद्ध दुर्गियाना मंदिर देखने गये। यह मंदिर हिन्दू मंदिर होने के बावजूद भी

हरमंदिर साहेब पद्धती में बना है। यहां भी एक बड़ा सरोवर है जो मंदिर को चारों तरफ से घेरे हुए है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। इसके अलावा यहां विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा भी होती है। यह मंदिर भी स्वर्ण मंदिर की तरह ही दर्शनीय है।

शाम को हमलोग अमृतसर के बाजार में घूमने निकले। यहां के बाजार काफी शानदार हैं। शाम के समय यहां की रौनक देखते ही बनती है। यहां कई शॉपिंग मॉल हैं जिनमें से कई तो काफी बड़े हैं जिन्हें पूरी तरह से देखने में काफी समय की जरूरत होती है। हमलोगों ने कुछ खरीदारी की जैसे पापा ने एक कश्मीरी जैकेट खरीदा, तो दीदी ने एक चमड़े की बनी हुई बैग ली। मैंने अपने दोस्तों को देने के लिये स्वर्ण मंदिर की कई रेपलिकाएं खरीदीं।

अक्षले दिन हमलोग भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बने अटारी बॉर्डर या जिसे पाकिस्तानी सीमा की ओर से बाघा बार्डर भी कहा जाता है, उसे देखने गये। यह हमारे होटल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर था। हमलोगों ने एक गाड़ी किया जिससे हमलोग बॉर्डर के करीब पहुंचे। स्टैन्ड से बॉर्डर की दूरी करीब ढाई किलोमीटर है। उसे पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ एक स्टेडियम की तरह स्टैन्ड बने हुए हैं जिसके बीच चौड़ी सड़क बनी हुई है जहां दोनों देशों की सेना के जवान शाम के समय अपने-अपने राष्ट्रीय ध्वज को परेड के माध्यम से उतारते हैं। उस दिन बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी जवानों ने ऐसा सुन्दर प्रदर्शन किया कि दर्शकों में देश प्रेम और खुशी का जज्बा छा गया। अगर कोई अमृतसर के भ्रमण को जाते हैं तो उन्हें इस कार्यक्रम को देखने बाघा बॉर्डर जरूर जाना चाहिए।

जयंती दास

पुत्री दिलीप कुमार दास
सेवानिवृत्त -आशुलिपिक, भंडार विभाग

श्रमदान का जादू

कॉलेज के साथ एयरफोर्स कैम्पस में रडार प्रशिक्षण के लिए गए दौरे के दौरान, मैंने एक अद्भुत घटना देखी, जिसने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी। वह सुबह कुछ अलग थी। हल्की ठंडी हवा और आसमान में ऊँचे उड़ते विमान के बीच मैं रनवे के पास खड़ा था। रनवे के किनारे घास और मलबा जमा हो गया था, जिससे साफ-सफाई की सख्त जरूरत थी।

कुछ अधिकारी पहले से चर्चा कर रहे थे कि इसे कैसे जल्दी और प्रभावी तरीके से साफ किया जाए। तभी, एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिनका रुतबा और सम्मान सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था, अपने वाहन से उतरे। उन्होंने बिना किसी घोषणा के झाड़ू उठाया और घास-मलबा साफ करने लगे।

यह देखकर वहां खड़े अन्य अधिकारी और कर्मचारी अचंभित रह गए। उनकी वर्दी में सजी यह ऊँची शख्सियत, जो आदेश देने के लिए जानी जाती थी, खुद अपने हाथों से सफाई कर रही थी।

कुछ ही मिनटों में, उस अधिकारी का यह छोटा-सा श्रमदान बड़ा प्रेरणादायक कार्य बन गया। सभी जूनियर अधिकारी और कर्मचारी, जो पहले इस कार्य को छोटा या बोझिल समझ रहे थे, तुरंत अपनी-अपनी जगह से उठे और श्रमदान में शामिल हो गए।

कुछ ही पलों में ऐसा लगा जैसे पूरा रनवे एक संगठित अभियान का हिस्सा बन गया हो। हर कोई अपने स्तर पर मेहनत कर रहा था। किसी के हाथ में झाड़ू थी, तो कोई कचरा इकट्ठा कर रहा था। सभी के चेहरे पर एक उत्साह और समर्पण था।

घंटों का काम केवल 20-25 मिनट में पूरा हो गया। रनवे और उसके आसपास की जगह चमकने लगी, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो।

जब सफाई का काम खत्म हुआ, तो वह वरिष्ठ अधिकारी मुस्कुराए और बोले, बड़ा काम हमेशा आदेश से नहीं, उदाहरण से शुरू होता है। उनकी यह बात सभी के दिलों में घर कर गई।

सभी के समर्पण और उत्साह को देखकर उन्होंने यह घोषणा की कि अब हर महीने के अंतिम शनिवार को पूरी टीम श्रमदान करेगी। इसमें रनवे, कार्यालय और आसपास की सफाई के साथ-साथ पौधों की देखभाल और नए पौधे लगाने का कार्य भी शामिल होगा।

इस निर्णय ने सभी के मन में न केवल सफाई के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की ओर भी प्रेरित किया। उस दिन मैंने महसूस किया कि एक छोटा-सा प्रयास पूरे संगठन को प्रेरणा और दिशा दे सकता है।

संतोष कुमार साव

कनिष्ठ अभियंता, विद्युत, परियोजना

विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा संबंधी पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न

विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में हिंदी का प्रयोग के संबंध में रेलवे बोर्ड के निर्देश

- सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के प्रश्नपत्र द्विभाषी रूप में तैयार किए जाने चाहिए तथा उम्मीदवारों को इनकी प्रतियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- प्रश्न पत्रों पर यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं।
- प्रश्नों में संघ की राजभाषा नीति नियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, इससे भिन्न नहीं।
- निर्धारित कुल अंकों में से 10 प्रतिशत अंक संघ की राजभाषा नीति एवम नियमों से संबंधित होने चाहिए।
- राजभाषा नीति एवम नियमों से संबंधित सभी प्रश्न मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा अथवा उनके परामर्श से तैयार किए जाने चाहिए।
- सभी विभागीय परीक्षाओं के परिणाम हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में प्रदर्शित/प्रकाशित किए जाने चाहिए।

(उक्त परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य राजभाषा से जुड़े संभावित प्रश्नों का एक संक्षिप्त संकलन पाठक कर्मियों के सुविधाार्थ यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है इससे हमारे पाठकगण लाभान्वित होंगे)

संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित प्रश्न

प्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकर किया	14 सितंबर, 1949
2.	प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ?	14, सितम्बर
3.	राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना ?	10 मई, 1963
4.	संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं ?	अनुच्छेद, 120, 210, तथा 343 से 351 तक
5.	संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठन संबंधी प्रावधान है ?	अनुच्छेद 344 (1)
6.	संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है।	अनुच्छेद 344 (4)
7.	संघ की राजभाषा क्या है ?	राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी
8.	हिंदी के प्रयोग के पुरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां बनायी गई हैं ?	3 उप समिति
9.	संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं।	अनुच्छेद 351
10.	संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया।	18 जनवरी, 1968
11.	संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है।	नेपाली
12.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) कब लागू हुआ।	26 जनवरी, 1965
13.	राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ	1967
14.	राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं	9 धाराएं
15.	धारा 3 (3) के अंतर्गत कितने दस्तावेज शामिल हैं।	14 प्रालेख
16.	राजभाषा नियम 1976 अन्तिम बार कब संशोधित हुआ ?	वर्ष 2011 में
17.	संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं ?	22
18.	हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश किस अनुच्छेद में दिए हैं ?	351
19.	राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबन्धों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया ?	धारा -4

20. संविधान के भाग-17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है ?
21. एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है ?
22. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80 प्रतिशत कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ?
23. संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था ?
24. राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है ?
25. भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधी प्रावधान है ?
26. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा ?
27. राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे ?
28. राजभाषा नियम के अनुसार, अंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है ?
29. राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है ?
30. राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है ?
31. आठवीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है ?
32. भारत संघ की राजभाषा क्या है ?
33. सभी नाम पट्ट/सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम में है ?
34. कर्मचारी कोई आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, यह किस नियम के अन्तर्गत आता है ?
35. हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम, 1976 के किस उप-नियम में निर्देश दिए गए हैं ?

अध्याय-1

अनुच्छेद -346

नियम 10 (4) में
गोपाल स्वामी अयंगर
तमिलनाडु
तीन
भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप [1, 2, 3]

हिंदी और अंग्रेजी दोनों में
क क्षेत्र
ग क्षेत्र
धारा-4
नेपाली
देवनागरी लिपि में हिंदी

नियम 11 (3) में
नियम 7 (1) में

नियम-12

राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से संबंधित प्रश्न

36. केन्द्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं ?
37. केन्द्रीय हिन्दी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं ?
38. भारतीय रेलों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब-कब होती है ?
39. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब-कब होती है ?
40. हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है ?
41. रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं ?
42. क्षेत्रीय रेलों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं ?
43. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है
44. केन्द्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं ?
45. संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं ?
46. संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं ?
47. संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं ?
48. संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं ?
49. रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौनसी उप समिति द्वारा किया जाता है ?
50. प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ ?
51. संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं ?
52. राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?
53. 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

प्रधान मंत्री
गृह मंत्री
तीन माह में एक बार
छः माह में एक बार
सभी मंत्रालयों में
रेल मंत्री
महाप्रबंधक
नगर के केन्द्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी
कुल 41 सदस्य
03 उप समितियां
10
20
30
दूसरी उप समिति
07 जून, 1955
केन्द्रीय गृह मंत्री
बालासाहेब गंगाधर खेर,
पंडित गोविंद बल्लभ पंत

54. संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है?

राजभाषा प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाओं से संबंधित प्रश्न

55. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा कथा/कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना का नाम क्या है?
56. भारत के नागरिकों को हिंदी में संस्कृति, धर्म, कला क्षेत्र में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है?
57. सरकारी काम-काज (टिप्पण/आलेख) मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है?
58. तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है?
59. मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ की होना चाहिए?
60. भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है?
61. रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है?
62. कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है।
63. रेलमंत्री राजभाषा रजत पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है

प्रोत्साहन योजनाएं

64. केन्द्र सरकार के कर्मिकों (सेवा निवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन-सा पुरस्कार निर्धारित है?
65. हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है?
66. अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस श्रेणी तक के
67. रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना आवश्यक है?
68. रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन-सी योजना चलाई जा रही है?
69. कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है?
70. रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है?
71. रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है?
72. सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रदान की जानेवाली पुरस्कार राशि कितनी होती है
73. निजी प्रयत्नों से हिंदी भाषा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर देय एकमुश्त राशि होती है
74. हिंदी आशुलिपि पास करने वाले गैर हिंदी भाषी आशुलिपिक को कितना वार्षिक वेतन दिया जाता है

प्रशिक्षण संबंधी

75. नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस-किस महीने में आरंभ होता है?
76. हिन्दी में प्रवीणताप्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है?
77. हिन्दी में कार्यसाधक कर्मचारी किसे कहा जाता है?
78. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है?

महामहिम राष्ट्रपति

प्रेमचंद पुरस्कार योजना

150000/- रुपये

20 व्यक्तियों को

लाल बहादुर शास्त्री

न्यूनतम 100 पृष्ठ

2,00,000 रुपये

10000/- रु. एवं प्रशस्ति पत्र

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों को।

पुरस्कार राशि - 10000/- रु.

वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को (8000/- रु.)

राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

वर्ष में 20,000 शब्द

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी भाग ले सकते हैं?

(JAG) तक के

3000 शब्द

मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

महाप्रबंधक एवं उनसे उच्चतर अधिकारी

सभी भारतीय नागरिकों के लिए

रजत पदक रु. 8,000/- नकद तथा प्रशस्ति पत्र

प्रथम - 12000/-, द्वितीय - 8000/-, तृतीय - 6000/-

प्रबोध - 1600, प्रवीण - 1800, प्राज्ञ - 2400

2 वेतनवृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन

जनवरी और जुलाई में

मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण

मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण

चार (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत)

79. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं ?
80. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रारम्भिक पाठ्यक्रम कौन सा है ?
81. हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण कितने माह का होता है ?
82. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर्मचारी को क्या समझा जाएगा।
83. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन संचालित है

विविध

84. राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है ?
85. अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है ?
86. हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है ?
87. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3)के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है ?
88. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है ?
89. दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा प्रयोग के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में है ?
90. विश्व हिन्दी दिवस कब मनाया जाता है ?
91. रेल कार्यालयों द्वारा प्रकाशित राजभाषा पत्रिका में लेख, कहानी के लिए देय मानदेय की राशि कितनी है
92. 'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं ?

93. 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं ?

94. 'ख' क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताइए।

95. अंशकालिक हिंदी पुस्तकाध्यक्ष को दिया जाने वाला मानदेय राशि क्या है ?
96. विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
97. संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है
98. राजभाषा नीति के अनुसार स्टेशनों पर उद्घोषणाएं किस भाषा क्रम में प्रसारित की जानी चाहिए
99. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आनेवाले कागजात

100. आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं

100%

प्रबोध

एक वर्ष

हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी

गृह मंत्रालय

3 (क, ख, ग क्षेत्र)

हिंदी या अंग्रेजी कर्मचारी जिसमें चाहता हो।

क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा

दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी

हिंदी और अंग्रेजी

ख क्षेत्र

10 जनवरी

1000/- रु.

बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ के राज्य-क्षेत्र।

तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू व कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, पांडिचेरी के संघ राज्य-क्षेत्र व लक्षद्वीप।

गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव।

1000/- प्रतिमाह शिक्षण योजना

10 जनवरी

गृह मंत्रालय

त्रिभाषा रूप में - प्रादेशिक, हिंदी अंग्रेजी

सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, सूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां/प्रेस नोट, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर, संकल्प, नियम, संसद में प्रस्तुत सरकारी कागजात, संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रशासनिक रिपोर्ट, संसद में प्रस्तुत प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली

हिंदी के हस्ताक्षर

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' - हिंदी साहित्य में उनकी प्रतिष्ठा एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि, संपादक, ललित-निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में है। इसके साथ ही उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत, अनुवाद, आलोचना, संस्मरण, डायरी, विचार-गद्य एवं नाटक से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है।

अज्ञेय को कविता में 'प्रयोगवादी' का प्रवर्तक कहा जाता है। उनके संपादन में निकले 'तार सप्तक' और 'दूसरा सप्तक' की प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्तियों को देखते हुए इसे एक नई धारा के रूप में चिह्नित किया गया।



अज्ञेय को 'नई कविता' धारा का भी पथ-प्रदर्शक माना जाता है। यद्यपि अज्ञेय ने कहानियाँ कम ही लिखी हैं और अपने उत्तरकालीन जीवन में तो न के बराबर ही लिखी हैं, परंतु हिन्दी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। निस्संदेह वे आधुनिक हिन्दी साहित्य के शलाका-पुरुष हैं जिनके कारण हिन्दी साहित्य में 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' के बाद पुनः आधुनिक युग का प्रवर्तन हुआ।

कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है।

मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी:

तुम्हारे रूप के-तुम हो, निकट हो, इसी जादू के-

निजी किस सहज, गहरे बाँध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ-

अगर मैं यह कहूँ-

बिछली घास हो तुम

लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की ?

या शरद की साँझ के सूने गगन की पीठिका पर दोलती कलगी अकेली बाजरे की।

और सचमुच, इन्हें जब-जब देखता हूँ

यह खुला वीरान संसृति का घना हो सिमट आता है-

और मैं एकांत होता हूँ समर्पित।

शब्द जादू हैं-

मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है ?

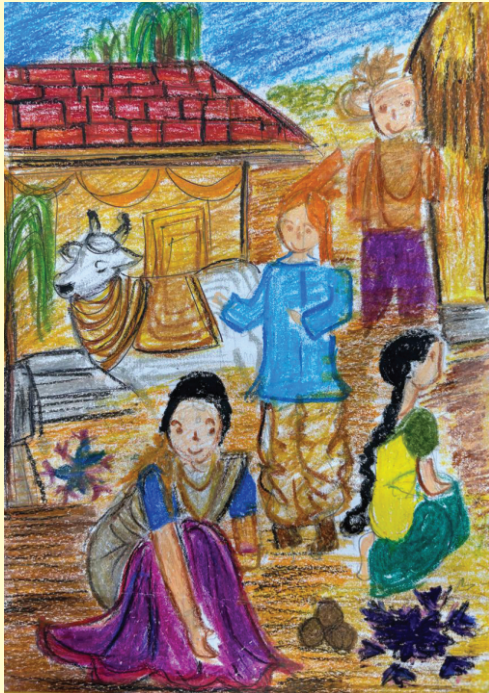
नाम	सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'
जन्म	7 मार्च 1911 को कुशीनगर, उत्तर प्रदेश
मृत्यु	4 अप्रैल 1987, नई दिल्ली
प्रसिद्ध काव्य संग्रह	भग्नदूत (1933), चिंता (1942), इत्यलम् (1946), हरी घास पर क्षण भर (1949), बावरा अहेरी (1954), इन्द्रधनुष रौंदे हुये ये (1957), अरी ओ करुणा प्रभामय (1959), आँगन के पार द्वार (1961), कितनी नावों में कितनी बार (1967), क्योंकि मैं उसे जानता हूँ (1970), सागर मुद्रा (1970), पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ (1974), महावृक्ष के नीचे (1977), नदी की बाँक पर छाया (1981), प्रिज़न डेज़ एंड अदर पोयम्स (अंग्रेज़ी, 1946) आदि।
कहानी संग्रह	विपथगा (1937), परंपरा (1944), कोठरी की बात (1945), शरणार्थी (1948), जयदोल (1951) आदि।
उपन्यास	शेखर एक जीवनी (दो भाग, क्रमशः 1941, 1944), नदी के द्वीप (1951), अपने अपने अजनबी (1961)।
यात्रा वृत्तांत	अरे यायावर रहेगा याद? (1943), एक बूँद सहसा उछली (1960)।
निबंध-संग्रह	सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य: एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल।
नाटक	उत्तरप्रियदर्शी
पुरस्कार	'आँगन के पार द्वार' के लिए वर्ष 1964 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार और 'कितनी नावों में कितनी बार' के लिए वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



श्री कोयल विश्वास,
सुपुत्री-गोलक चंद्र विश्वास, लेखा सहायक



दिव्येंदु दास, सुपुत्र - देवांसु दास



पेड्डा राजेश्वर राव,
सुपुत्र-श्री पेड्डा ममता राव, सामान्य सहायक



प्रियंका कनौजिया
सुपुत्री - श्री शिवलाल कनौजिया, कार्यालय अधीक्षक